मोदी सरकार के चार साल और बजट 2018-19

लोकायत | जनता

मोदी सरकार के चार साल और बजट २०१८–१९

- **अनुवाद:**
  सुनील कुमार

- **प्रकाशक:**
  अलका जोशी, लोकायत,
  सिंडिकेट बैंक के सामने,
  लॉ कॉलेज रोड, नलस्टॉप के पास,
  पुणे – ४११००४

  जी.जी. परीख, जनता ट्रस्ट,
  डी/१५, गणेश प्रसाद,
  नौशीर भरुचा मार्ग, ग्रांट रोड (पश्चिम),
  मुंबई – ४००००७

- **मुद्रक:**
  आर.एस. प्रिंटर्स, ४५५, शनिवार पेठ, पुणे – ४११०३०

- **प्रथम संस्करण:** सितंबर २०१८

सहयोग राशि: ₹ १५/-

मोदी सरकार के चार साल और बजट २०१८–१९

लोकायत

जनता साप्ताहिक,
मुंबई

अनुक्रमणिका

१.	विदेशी खाते की स्थिति	१
२.	संवृद्धि दर में वृद्धि का प्रचार	५
३.	वैश्विक पूंजी की जी-हुज़ूरी	७
४.	सरकार अपने बजटीय परिव्यय में कैसे वृद्धि कर सकती है	९
५.	बजट और कृषि	१७
६.	जेटली और सामाजिक क्षेत्र	२८
७.	बजट तथा हाशिए पर स्थित वर्ग	४७
८.	निष्कर्ष	५३
	संदर्भ	५४
	हमारे बारे में: जनता साप्ताहिक	६०
	हमारे बारे में: लोकायत	६१

मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती
पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती
गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती

बैठे-बिठाए पकड़े जाना – बुरा तो है
सहमी-सी चुप में जकड़े जाना – बुरा तो है
कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना – बुरा तो है
जुगनुओं की लौ में पढ़ना – बुरा तो है
मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना – बुरा तो है
पर सबसे खतरनाक नहीं होता

सबसे खतरनाक होता है, मुर्दा शांति से भर जाना
न होना तड़प का, सब सहन कर जाना
घर से निकलना काम पर, और काम से लौट कर घर आना
सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना

– अवतार सिंह 'पाश'

मोदी सरकार के चार साल और बजट २०१८–१९

मीडिया ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के पांचों संघीय बजटों को किसान, दरिद्र जन, ग्रामीण समाज, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र हितैषी बजटों के रूप में प्रस्तुत करने का भरकस प्रयास किया है। आइए देखते हैं कि इन बजटों की वास्तविकता क्या है। इसके लिए हम इस पुस्तिका में मुख्यतः जेटली के पांचवें (२०१८–१९) और पहले (२०१४–१५) बजट का तुलनात्मक विश्लेषण करके मोदी सरकार की जनपक्षधरता का विश्लेषण करेंगे।

१. विदेशी खाते की स्थिति

सबसे पहले विदेशी खाते की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त जाएज़ा लिया जाए। यह अर्थव्यवस्था संबंधी किसी भी चर्चा का महत्त्वपूर्ण अंग होता है और वित्त मंत्री को, संक्षेप में ही सही, अपने बजट भाषण में विदेशी खाते की स्थिति की चर्चा अवश्य करनी चाहिए।

संघीय बजट २०१८–१९ में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें विदेशी खाते के संबंध में एक वाक्य तक नहीं कहा गया है! यह बड़ी अजीब बात है क्योंकि १९९१ के बाद से, जबसे भारत ने वैश्वीकरण शुरू किया है तब से, यानी लगभग पिछले तीन दशकों के दौरान, विदेशी मुद्रा संकट का समाधान करना भारत की आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण अंग रहा है। १९८० के दशक के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी ऋण संकट में फंस चुकी थी (हमारा विदेशी ऋण लगभग ८४ अरब डॉलर हो चुका था) और हमारा विदेशी खाता दिवालियापन के कगार तक पहुंच चुका था। १९९१ के मध्य में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा बहुत बड़ा विदेशी कर्ज लेने के बदले नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की सहमती दी। इस समझौते में एक शर्त यह रखी गई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी तथा वस्तुओं के अबाध प्रवाह को अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। उसके बाद केंद्र में आने वाली प्रत्येक सरकार इन नीतियों को लागू करती आ रही है। मोदी सरकार तो इन नीतियों को और भी अधिक गति से लागू कर रही है।

नवंबर २०१७ के मध्य में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत की संप्रभु रेटिंग में दो स्थान की वृद्धि की; पहले भारत को न्यूनतम निवेश ग्रेड—'बीएए३

सकारात्मक'—पर रखा गया था, अब इसे 'बीएए२ स्थिर' रेटिंग प्रदान की गई। मूडीज़ ने २००४ के बाद पहली बार भारत की रेटिंग में सुधार किया है। इस खबर को लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर जगह दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय तथा अरुण जेटली दोनों ही ने दावा किया कि यह इस बात की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति है कि भाजपा सरकार द्वारा लागू किए जा रहे संरचनागत सुधारों के परिणामस्वरूप व्यावसायिक वातावरण में सुधार हो रहा है, उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, विदेशी एवं घरेलू निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है, आदि।[1]

यदि ऐसा है, तो इस वर्ष के बजट भाषण में विदेशी खाते की स्थिति के बारे में एक वाक्य तक क्यों नहीं कहा गया है?

इसका कारण यह है कि मूडीज़ द्वारा रेटिंग में सुधार का हमारी अर्थव्यवस्था अथवा हमारे विदेशी खाते की स्थिति से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि हमने कुछेक हफ़्ते पहले *जनता* साप्ताहिक में प्रकाशित लेख में स्पष्ट किया था, "मूडीज़ द्वारा भारत की सम्प्रभु रेटिंग में सुधार यह प्रदर्शित नहीं करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था लोगों के लिए कितनी बेहतर हुई है, बल्कि इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि अर्थव्यवस्था में विशालकाय विदेशी एवं भारतीय निगमों के लिए अधिकतम लाभ अर्जित करने की कितनी संभावनाएं बनी हैं।"[2] और जहां तक बात है विदेशी खाते की, तो सच्चाई यही है कि इसकी इतनी खराब स्थिति अब से पहले कभी नहीं हुई थी, और यही कारण है कि वित्त मंत्री के बजट भाषण में इस विषय का ज़िक्र तक नहीं किया गया है।

सितम्बर २०१७ में हमारा विदेशी कर्ज़ ४९५ अरब (बिलियन) डॉलर से अधिक हो गया।[3] भारत दुनिया के सबसे अधिक कर्ज़वान देशों में हो गया है। इतना ही नहीं, हमारे विदेशी खाते की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। २०१४–१५ और २०१६–१७ के बीच भारत का व्यापार घाटा निरंतर घटता गया था, लेकिन अब यह फिर बढ़ने लगा है। अप्रैल–दिसंबर २०१७ के बीच यह ११८.९ अरब डॉलर हो गया, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इसी अवधि में इसका मान ८२.७ अरब डॉलर था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल–दिसंबर २०१७ के दौरान भारत का चालू खाता घाटा तिगुना से ज़्यादा बढ़कर ३५.६ अरब डॉलर अथवा जीडीपी का १.९% हो गया, जबकि २०१६–१७ में इसी अवधि के दौरान यह ११.८ अरब डॉलर अथवा जीडीपी का ०.७% था।[4]

अस्थिर विदेशी देयताएं

आर्थिक सर्वेक्षण २०१७–१८ का दावा है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार

संतोषजनक स्थिति में है। २९ दिसंबर २०१७ को हमारे पास ४०९.४ अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध था। कुल विदेशी कर्ज़ की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार का आवरण सितंबर २०१७ के अंत में ८०.७% हो गया था, जबकि मार्च २०१७ में यह ७८.४% था।[5]

लेकिन विशाल विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में ढोल पीटना पूर्णतः बेमानी है। किसी देश का विदेशी मुद्रा भांडार उस देश की विदेशी मुद्रा आय को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसका अर्थ महज़ इतना ही है कि सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के पास कुल कितनी विदेशी मुद्रा है। इसमें देश में आई हुई कुल विदेशी पूंजी शामिल है। इसका अर्थ यह है कि यदि विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालना शुरू कर दें, तो विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ जाएगी तथा अर्थव्यवस्था विदेशी खाता दिवालियापन में भी धंस सकती है।

बेशक सारा विदेशी निवेश अचानक से अर्थव्यवस्था से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। अतः, देश के विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा प्रदत्त सुरक्षा कवच की वास्तविकता का अनुमान लगाने के लिए उसकी देश की 'अस्थिर विदेशी देयताओं' (Vulnerable External Liabilities) के साथ तुलना की जानी चाहिए। इसका अर्थ है देश में आई हुई ऐसी विदेशी मुद्रा जो अचानक देश से बाहर जा सकती है। इन 'अस्थिर विदेशी देयताओं' में शामिल हैं: (i) अल्पकालिक ऋण (अर्थात् वर्ष भर के अंदर देय ऋण); (ii) संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश (अर्थात् शेयर बाज़ार अथवा ऋण साधन में किया गया विदेशी सट्टा निवेश), जिसे किसी भी समय निकाला जा सकता है; (iii) वे एनआरआई जमाएं जिनका किसी भी समय प्रत्यावर्तन किया जा सकता है [विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता {Foreign Currency Non-Resident (Bank) या FCNR–B} जमाएं तथा अनिवासी बाह्य रुपया खाता {Non-Resident External Rupee Account या NRERA} जमाएं]।

हम अब जून २०१७ में भारत की अस्थिर विदेशी देयताओं का अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं:

क) अल्पावधिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता): इसमें लघु अवधि के बाहरी ऋण के अलावा वह दीर्घकालीन ऋण भी शामिल है जिसको संदर्भ तिथि से एक वर्ष के अंदर अदा किया जाना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार जून २०१७ के अंत में यह हमारे विदेशी कर्ज़ का ४१.१% था = १९९.५ अरब डॉलर।[6]

ख) जून २०१७ के अंत में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के माध्यम से संविभाग निवेश = २५१ बिलियन डॉलर।[7] [यह न्यूनतम अनुमानित राशि है;

यहां इस तथ्य का संज्ञान लेना आवश्यक है कि जिस राशि को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उसमें बड़ा हिस्सा असल में निजी इक्विटी फर्मों, वेंचर कॅपिटल फंडों तथा हेज फंडों द्वारा किया गया वित्तीय निवेश होता है; इसे किसी भी सूरत में स्थाई निवेश नहीं माना जा सकता।]

ग) FCNR–B जमाओं तथा NRERA जमाओं की बकाया राशि (इनमें अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के अल्पकालीन ऋण में शामिल एनआरआई जमाओं को शामिल नहीं किया गया है) = ३५.३ अरब डॉलर।[8]

अतः,

- कुल अस्थिर देयताएं = १९९.५ + २५१ + ३५.३ = ४८५.८ अरब डॉलर
- ३० जून २०१७ को उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार = ३८६.८ अरब डॉलर[9]

अतः यह स्पष्ट है कि यदि विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालने का निर्णय कर लें, तो हमारा अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार १९९०–९१ की तरह हमारी अर्थव्यवस्था को पुनः विदेशी मुद्रा संकट में जाने से बचा नहीं पाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण २०१७–१८ के अनुसार, "२०१७–१८ की द्वितीय चौथाई में एफडीआई के प्रवाह में मंदी आई। इसके कारण २०१७–१८ की पहली छमाही में पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एफडीआई प्रवाह में ६.३% की कमी आई। लेकिन विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) में ७८% की वृद्धि हुई; २०१६–१७ की पहली छमाही में यह ८.२ अरब डॉलर था, २०१७–१८ की पहली छमाही में यह बढ़कर १४.५ अरब डॉलर हो गया। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावनाओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।"[10]

वास्तविकता इसके बिलकुल विपरीत है। एफपीआई अंतर्वाह पर बढ़ती हुई निर्भरता यह दर्शाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था अस्थिर विदेशी पूंजी के अंतर्वाह पर अधिकाधिक निर्भर होती जा रही है, यानी यदि विदेशी पूंजी का बहिर्गमन हुआ, तो अर्थव्यवस्था दिवालिया हो सकती है। क्योटो, जापान में जनवरी २०११ में हुई गवर्नरों की मीटिंग में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के तत्कालीन गवर्नर ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया था, "हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में उधार लिए गए संसाधनों की मात्रा अधिक है, अतः जिन देशों के पास चालू खाता अधिशेष की स्थिति है उनकी तुलना में हमारी अर्थव्यवस्था अचानक आई रुकावट अथवा निरसन के प्रति अधिक संवेदनशील है।"[11]

भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः विदेशी पूंजी के अंतर्वाह पर निर्भर हो चुकी है; इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा सट्टा पूंजी दोनों का ही अंतर्वाह शामिल है। इसी

कारण भाजपा सरकार विदेशी निवेशकों को भारत में पूंजीनिवेश करने के लिए लुभाने का भरकस प्रयास कर रही है। पिछले चार सालों के दौरान सरकार ने विदेशी निवेशकों हेतु एफडीआई नियमों में बहुत ज़्यादा उदारीकरण किया है; उनको भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है; उनको हमारे खनिज संसाधनों, कृषि भूमि, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों तक पर अपना प्रभुत्व जमाने दिया जा रहा है। अब तो रक्षा क्षेत्र में भी एफडीआई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। करीब दो सदी पहले अंग्रेज़ों को इस देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फौज़ का सहारा लेना पड़ा था। अब हमारे शासक स्वयं ही उनको भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का न्यौता दे रहे हैं।

२. संवृद्धि दर में वृद्धि का प्रचार

जीडीपी संवृद्धि दर (विकास दर) के आंकड़ों के संदर्भ में वित्त मंत्री वास्तविकता से आंख बचाने के लिए शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में अपनी गर्दन घुसा लेते हैं। वे दावा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में है:

> *मई २०१४ में हमारी सरकार आने के बाद से अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बेहतर हुई है। सरकार के पहले तीन सालों के दौरान भारत ने औसत ७.५% संवृद्धि दर हासिल की। . . . दूसरी तिमाही में ६.३% की जीडीपी संवृद्धि दर अर्थव्यवस्था की बेहतरी का संकेतक है। हमें उम्मीद है कि दूसरी छमाही में हम ७.२% से ७.५% तक की संवृद्धि दर हासिल कर पाएंगे। . . . हम ८% तक की संवृद्धि दर हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं।*[12]

सच्चाई यह है कि पहले दो वर्षों के दौरान सरकार ने जीडीपी आकलन की प्रणाली में दो बार संशोधन किए, ताकि संवृद्धि दर को ७% से ऊपर दिखाया जा सके। इसके बावजूद २०१६ के बाद से जीडीपी संवृद्धि दर में पुनः गिरावट आनी शुरू हो गई। लगातार छह तिमाहियों तक इसमें निरंतर गिरावट आई, २०१६ की पहली तिमाही में यह ९.२% थी जो गिरते-गिरते २०१७ की दूसरी तिमाही तक ५.७% तक आ गई। अब सरकार दावा कर रही है कि अर्थव्यवस्था में पुनः सुधार आना शुरू हो गया है, २०१७ की तीसरी तिमाही में इसमें ६.३% की वृद्धि हुई और भविष्य में इसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

वास्तविकता यह है कि संवृद्धि में पुनरुद्धार का यह दावा अधूरे आंकड़ों पर

आधारित है। २०१७ की तीसरी तिमाही में ६.३% की वृद्धि दर का सरकारी अनुमान तिमाही आंकड़ों पर आधारित है, और तिमाही आंकड़े मुख्यतः संगठित क्षेत्र द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित होते हैं। इसमें असंगठित क्षेत्र का डाटा सम्मिलित नहीं होता है, जो देश में रोज़गार का ९३% तथा कुल उत्पादन का ४५% प्रदान करता है।

सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र का डाटा आवधिक सर्वेक्षणों द्वारा एकत्रित किया जाता है। विमुद्रीकरण (नवंबर २०१६ में घोषित) तथा जीएसटी (जुलाई २०१७ में लागू) के कारण असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। लेकिन इन दोनों ही कदमों का असंगठित क्षेत्र पर पड़े प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है। जब डाटा ही मौजूद नहीं है, तो सरकार ने तिमाही संवृद्धि दर में असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन किस आधार पर किया है? सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इसने संगठित क्षेत्र की वृद्धि के डाटा के आधार पर यह आकलन किया है।[13] सामान्य परिस्थितियों में यह तरीका काम कर सकता है। लेकिन विमुद्रीकरण और जीएसटी के कारण असंगठित क्षेत्र सिकुड़ गया था, जब कि संगठित क्षेत्र पर इनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था, और इसलिए इन परिस्थितियों में यह तरीका सही नहीं है। अतः, वित्त मंत्री द्वारा २०१७ की तीसरी तिमाही के लिए प्रस्तुत की गई आधिकारिक संवृद्धि दर के बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि यह दर्शाती है कि दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही के दौरान संगठित क्षेत्र की संवृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई।

हालांकि सरकार ने असंगठित क्षेत्र पर विमुद्रीकरण और जीएसटी के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, लेकिन बहुत से निजी सर्वे इस क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर की ओर इशारा करते हैं। इस आकलन और संगठित क्षेत्र की सकारात्मक वृद्धि का समामेलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि न केवल २०१७ की तीसरी तिमाही में, बल्कि प्रथम और द्वितीय तिमाहियों में भी, अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर लगभग १% के आस पास है, और ५% से ७% तक की वृद्धि के सरकारी दावे झूठे हैं।

इसके अलावा, चूंकि अनौपचारिक क्षेत्र देश में ९०% से अधिक रोज़गार प्रदान करता है, अतः इसका निहितार्थ यह है कि जहां संगठित क्षेत्र में काम करने वाली एक छोटी जनसंख्या "२०१७ की तीसरी तिमाही में शुरू हुए आर्थिक पुनरुत्थान" से लाभान्वित हुई है, वहीं विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसी सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र में हुई नकारात्मक वृद्धि के कारण जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से की आय में भयंकर गिरावट आई है।

३. वैश्विक पूंजी की जी-हुज़ूरी

अनौपचारिक क्षेत्र के सिकुड़ने तथा देश में बढ़ती बेरोज़गारी के बावजूद जेटली ने सरकारी व्यय बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने का कोई प्रयास नहीं किया है। सरकार द्वारा कुल बजटीय व्यय में बहुत कम वृद्धि की गई है। इसमें सिर्फ १०% की वृद्धि की गई है—जबकि नाममात्र जीडीपी में ११.५% वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अतः जीडीपी के अनुपात में बजटीय परिव्यय २०१७–१८ (संशोधित अनुमान या सं.अ.) में १३.२१% से घटकर २०१८–१९ में १३.०४% रह गया है (तालिका १)। यह एक संकुचनकारी राजकोषीय नीति की ओर इंगित करता है, जबकि विमुद्रीकरण तथा जीएसटी द्वारा उत्पन्न किए गए आर्थिक विघटन से निपटने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता थी।

तालिका १: बजट परिव्यय, २०१४ से २०१८[14] *(करोड़ रुपए)*

	२०१४–१५ वा.‡ (१)	*२०१७–१८ सं.अ.* (२)*	*२०१८–१९ ब.अ.# (३)*	*(२) से (३) की वृद्धि, %*	*(१) से (३) की वृद्धि, सीएजीआर†*
बजट परिव्यय (४)	१६,६३,६७३	२२,१७,७५०	२४,४२,२१३	१०.१२%	१०.०७%
जीडीपी (नाममात्र)		१,६७,८४,६७९	१,८७,२२,३०२	११.५४%	
जीडीपी के % के रूप में बजट परिव्यय		१३.२१%	१३.०४%		
जीएसटी मुआवज़ा उपकर (५)		६१,३३१	९०,०००		
वास्तविक बजट परिव्यय (४–५)	१६,६३,६७३	२१,५६,४१९	२३,५२,२१३	९.०८%	९.०४%
जीडीपी के % के रूप में वास्तविक बजट परिव्यय		१२.८५%	१२.५६%		

‡ वा.: वास्तविक (Actual)

* सं.अ.: संशोधित अनुमान (Revised Estimate)

ब.अ.: बजट अनुमान (Budget Estimate)

† सीएजीआर: चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (Compound Annual Growth Rate)

वास्तविक बजट परिव्यय तो ऊपर दिए गए आंकड़ों से भी कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेटली ने 'जीएसटी मुआवज़ा उपकर के रूप में एकत्रित राशि' को भी अपने बजट परिव्यय में शामिल किया है। जीएसटी लागू किए जाने के कारण राज्यों को जो राजस्व हानि हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु यह राशि राज्यों को हस्तांतरित की जानी है। 'राज्यों को हस्तांतरित कर राजस्व' की ही तरह इसे भी सकल कर राजस्व में से घटाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसे 'केंद्र के शुद्ध कर राजस्व' तथा बजट परिव्यय में शामिल करके बजट परिव्यय में कृत्रिम बढ़ोतरी दर्शाने का प्रयास किया है। इसे घटाने के पश्चात, २०१८–१९ का वास्तविक बजट परिव्यय जीडीपी का मात्र १२.५६% रह जाता है, जबकि संप्रग (UPA) सरकार के अंतिम वर्ष (२०१३–१४) में यह १३.८८% था।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण आंकड़ा है: कुल सरकारी व्यय तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय सरकारी खर्च का वह अंश होता है जो दीर्घकालिक उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु खर्च किया जाता है, जैसे कि रेलवे लाइन, बिजली घर, फैक्ट्रियां, स्कूल एवं अस्पताल। नवउदारवादी सुधारों की शुरुआत के बाद से इस व्यय में निरंतर कमी आती जा रही है। वैश्वीकरण के पहले की तुलना में अब यह एक-तिहाई से भी कम रह गया है (तालिका २)।

तालिका २: केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय[15] *(%)*

	१९८५–९०	१९९१–९७	२०१५–१८
कुल व्यय का %	३०.१०	२२.७०	१३.००
जीडीपी का %	६.१०	४.००	१.७०

यह गिरावट विश्व बैंक तथा आईएमएफ द्वारा थोपी गई नवउदारवादी नीतियों के कारण आई है। दिल्ली में बैठा उनका आदमी अरविंद सुब्रमण्यन—जिसे सीधे वॉशिंगटन से उठाकर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में दिल्ली में नियुक्त करवाया गया है—ने इस वर्ष के *आर्थिक सर्वेक्षण* में स्पष्ट कहा है कि "भारत को दो मुख्य टिकाऊ इंजनों—निजी निवेश तथा निर्यात—की शक्ति के आधार पर तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिए वातावरण के निर्माण का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।"[16]

यानी वे यह कहना चाहते हैं कि आर्थिक वृद्धि को सरकारी निवेश में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। विदेशी पूंजी यह चाहती है कि भारत सरकार का पूंजीगत व्यय, अर्थात अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में सरकारी व्यय, कम से कमतर होता चला जाए, ताकि निजी पूंजी, विशेषतः बहुराष्ट्रीय पूंजी, इन क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर सके। पिछली सभी सरकारों ने इसी नीति को लागू किया था, वर्तमान भाजपा सरकार इस नीति को और तेज़ी से आगे बढ़ा रही है।

४. सरकार अपने बजटीय परिव्यय में कैसे वृद्धि कर सकती है

सरकार की कुल बजटीय प्राप्तियों, जो इसके बजटीय परिव्यय के बराबर हैं, में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं: (i) कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर (आय कर, निगम कर, आदि) तथा अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, बिक्री कर, आदि) शामिल हैं; (ii) गैर-कर राजस्व में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, राज्य सरकारों, आदि को दिए गए कर्ज़ पर अर्जित ब्याज प्राप्तियां और स्पेक्ट्रम की बिक्री आदि से प्राप्त आय शामिल हैं; (iii) पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेशीकरण द्वारा अर्जित आय तथा कर्ज़ की वापसी शामिल हैं।

तालिका ३: संघीय बजट २०१८–१९, प्राप्तियां *(करोड़ रुपए)*

सकल कर राजस्व	२२,७१,२४२
केंद्र का शुद्ध कर राजस्व	१४,८०,६४९
गैर-कर राजस्व	२,४५,०८९
पूंजीगत प्राप्तियां (उधार समेत)	७,१६,४७५
कुल प्राप्तियां	२४,४२,२१३

२०१८–१९ में सरकार की कुल प्राप्तियां, और कुल बजटीय परिव्यय, २४.४ लाख करोड़ रुपए है। यदि सरकार चाहे तो अपने कर एवं गैर-कर राजस्व में बढ़ोतरी कर सके, तो वह अपनी प्राप्तियों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि कर सकती है। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? ज़रूर कर सकती है।

भारत: न्यून कर राजस्व

२०१७–१८ के संशोधित अनुमान की तुलना में २०१८–१९ के बजट में सकल

कर राजस्व में १६.७% की वृद्धि का अनुमान किया गया है। यह बेहद आशावादी लक्ष्य है क्योंकि सरकार की उम्मीद है कि नाममात्र जीडीपी में ११.५% की वृद्धि होगी (और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह आंकड़ा भी बेहद आशावादी परिकल्पना है)। पिछले वर्ष के दौरान सकल कर राजस्व (२०१६–१७ वा. की तुलना में २०१७–१८ सं.अ.) में केवल १३.४% की वृद्धि हुई थी।

तालिका ४: सकल कर राजस्व, २०१६ से २०१८ *(करोड़ रुपए)*

	२०१६–१७ *वा.*	२०१७–१८ *ब.अ.*	२०१७–१८ *सं.अ.*	२०१८–१९
सकल कर राजस्व	१७,१५,८२२	१९,११,५७९	१९,४६,११९	२२,७१,२४२

यदि २०१८–१९ के सकल कर राजस्व के पूर्वानुमान को हासिल कर भी लिया जाता है, तो भी असल मुद्दा यह है कि सरकार का सकल कर राजस्व अति न्यून है। जीडीपी के अनुपात के रूप में भारत सरकार (केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर) के कुल कर राजस्व की अन्य देशों के साथ तुलना करने के द्वारा इस तथ्य को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। *आर्थिक सर्वेक्षण २०१५–१६* कहता है कि भारत का कर राजस्व जीडीपी का मात्र १६.६% है, और यह अनुपात ब्रिक्स देशों में सबसे कम है (ब्राज़ील ३५.६%, दक्षिण अफ्रीका २८.८%)। यह उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (Emerging Market Economies) तथा ओईसीडी (३४ विकसित देशों का समूह) देशों के औसत अनुपात—क्रमशः २१% एवं ३४%—से भी कम है। भारत का कर–जीडीपी अनुपात प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर तुलनीय (पीपीपी समायोजित) अर्थव्यवस्थाओं—जैसे कि वियतनाम, बोलीविया और उज़्बेकिस्तान—में भी सबसे न्यून है।[17] *आर्थिक सर्वेक्षण २०१७–१८* कहता है कि: "यह विचित्र बात है कि ६.५% की औसत आर्थिक संवृद्धि दर—भारत के इतिहास में तीव्रतम वृद्धि—के बावजूद सरकार का कर–जीडीपी अनुपात १९८० के दशक जितना ही है।"[18]

अतः यह तो स्पष्ट है कि सरकार के पास कर राजस्व में वृद्धि करने की अकूत संभावनाएं हैं। यदि भारत सरकार के कर–जीडीपी अनुपात को २५% तक लाया जा सके (अर्थात ५०% की वृद्धि)—और चूंकि भारत में अधिकांश कर एवं गैर-कर राजस्व केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है—तो केंद्र के कर राजस्व में कम-से-कम ५०% की वृद्धि होगी। आइए अब ऐसे संभावी उपायों की चर्चा करते हैं जिनके माध्यम से उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

कर राजस्व में वृद्धि करने हेतु अवैध पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित करना

पूंजी के अवैध आवागमन को नियंत्रित करना कर राजस्व में वृद्धि का एक उपाय है। अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, की अप्रैल २०१७ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष २०१४ में मुख्यतः गलत व्यापारिक इन्वॉइसिंग (चालान प्रक्रिया) के माध्यम से ८ से २३ अरब डॉलर के बीच अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाए गए तथा ३९ से १०१ अरब डॉलर के बीच अवैध रूप से भारत में प्रविष्ट हुए। यदि न्यूनतम मूल्य को भी लिया जाए, तो भी ४७ अरब डॉलर अवैध पूंजी का आवागमन हुआ।[19] यह अवैध आवागमन टैक्स बचाने के मकसद से किया जाता है; यदि सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए इस आवागमन पर रोक लगाई होती और टैक्स वसूल किया होता, तो सरकार को कर के रूप में कम से कम १२ अरब डॉलर अथवा ७८,००० करोड़ रुपए प्राप्त हुए होते। यह वित्त वर्ष २०१४–१५ के कुल कर राजस्व का ६.३% हिस्सा है। बदकिस्मती से न तो पिछली संप्रग सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में गंभीर थी और न ही वर्तमान भाजपा सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही है। जैसा कि हम विमुद्रीकरण संबंधी अपनी पुस्तिका में स्पष्ट कर चुके हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने और काले धन पर नियंत्रण लगाने के वर्तमान सरकार के आसमानी दावे पूर्णतः खोखले हैं, सच तो यह है कि यह सरकार भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को नखदंतहीन बनाने में लगी हुई है।[20]

अमीरों को बेज़ा कर-छूट

भारत सरकार के न्यून कर राजस्व का सबसे मुख्य कारण यह है कि सरकार द्वारा अमीरों को कर में भारी छूट प्रदान की जाती है। पिछले कई सालों के दौरान हर वर्ष बजट में एक विवरण शामिल किया जाता है जिसमें यह अनुमान दर्ज़ किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा मुख्य करों में दी गई छूट के कारण पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में राजस्व में कितनी कमी हुई। यह विवरण संघीय बजट के प्राप्ति बजट अंश के अनुलग्नक में *केंद्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव* शीर्षक से सम्मिलित किया जाता है। बजट दस्तावेज़ों से यह जानकारी मिलती है कि अपने प्रथम तीन वर्षों के दौरान मोदी–जेटली सरकार ने अति धनाढ्य वर्ग को १६.५ लाख करोड़ रुपए की कर छूट प्रदान की है। यह कर छूट कॉर्पोरेट आयकर, सीमा एवं आबकारी शुल्कों में दी गई है।[21]

इस वर्ष सरकार ने आबकारी एवं सीमा शुल्क के माध्यम से अति धनाढ्य वर्ग को प्रदान की गई कर छूट का पूर्ण अनुमान नहीं लगाया है। बहुत से अप्रत्यक्ष कर

जीएसटी के अंतर्गत लाए गए हैं, और बजट में कहा गया है कि जीएसटी के अंतर्गत छूट के कारण बट्टे खाते में डाले गए राजस्व की गणना अगले वर्ष की जाएगी। जहां तक कॉर्पोरेट कर माफी के चलते बट्टे खाते में डाले गए राजस्व का प्रश्न है, २०१८–१९ के बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले वर्ष, यानी कि २०१७–१८ में, यह राशि ८५,०२६ करोड़ रुपए थी। २०१६–१७ में यह सब्सिडी अनुमानतः ८३,४९२ करोड़ रुपए थी (२०१७–१८ के बजट दस्तावेज़ के अनुसार)। चूंकि २०१७–१८ में कॉर्पोरेट कर माफी उसके पूर्ववर्ति वर्ष की तुलना में (बजट अनुमान) ज़्यादा है, अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि २०१७–१८ में अति धनाढ्य वर्ग को कुल कर माफी कम-से-कम २०१६–१७ जितनी ही, अर्थात ५.५ लाख करोड़ रुपए, दी गई होगी।

तालिका ५: कर छूट के कारण बट्टे खाते में डाला गया राजस्व एवं राजकोषीय घाटा *(लाख करोड़ रुपए)*

	२०१४–१५	२०१५–१६	२०१६–१७	२०१७–१८	कुल
बट्टे खाते में डाला गया राजस्व	५.४९	५.५१	५.५०	५.५०*	२२
राजकोषीय घाटा (सं.अ.)	५.१३	५.३५	५.९५	६.२४	

* हमारा अनुमान

यदि अति धनाढ्य वर्ग को कर छूट न दी गई होती तो २०१७–१८ (सं.अ.) में सरकार का कर राजस्व १९.५ लाख करोड़ रुपए से बढ़कर २५ लाख करोड़ रुपए हो गया होता, यानी कि २८% की वृद्धि हो गई होती।

कर संग्रहण: आम लोगों पर बोझ डालना

न केवल सरकार धनी वर्ग को बहुत अधिक कर छूट प्रदान कर रही है, सरकार द्वारा अधिकांश कर संग्रहण आम लोगों से किया जाता है। इस तथ्य को समझने के लिए सरकार की कर संरचना को समझना आवश्यक है।

दो प्रकार के कर लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर आय पर लगाए जाते हैं, जैसे कि वेतन, लाभ, संपत्ति आदि पर, और इनका अधिकांश बोझ धनाढ्य वर्ग पर पड़ता है; जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और निर्व्यक्तिक सेवाओं पर लगाए जाते हैं और इनका बोझ गरीब और अमीर दोनों पर पड़ता है। कराधान की समतावादी प्रणाली व्यक्तियों और निगमों के ऊपर उनकी कर अदा करने की क्षमता के अनुरूप कर लगाती है। इसका निहितार्थ यह है कि ऐसी व्यवस्था में सरकार अप्रत्यक्ष

करों की बजाए प्रत्यक्ष करों के माध्यम से अधिक कर संग्रहण करती है।

दुनिया के अधिकांश पूंजीवादी देशों में, फिर चाहे वे दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे विकासशील देश हों अथवा विकसित ओईसीडी राष्ट्र हों, प्रत्यक्ष कर राजस्व कुल कर राजस्व का ५५% से ६५% अथवा इससे भी अधिक है। लेकिन 'समाजवादी' भारत में कर के रूप में संग्रहित किए गए प्रत्येक १०० रुपए में से मात्र ३० रुपए ही प्रत्यक्ष कर के रूप में संग्रहित किए जाते हैं (बाकी ७० रुपए अप्रत्यक्ष करों के रूप में एकत्रित किए जाते हैं)।[22] सरकार भी इस तथ्य से अवगत है। *आर्थिक सर्वेक्षण २०१७–१८* यह स्वीकार करता है कि यूरोप की कर व्यवस्था में लगभग ७०% प्रत्यक्ष कर है। वह इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि अन्य उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का अनुपात बहुत कम है (चीन को छोड़कर, जो कि एक अलोकतांत्रिक देश है)।[23]

राज्यों द्वारा अधिकांश कर संग्रहण अप्रत्यक्ष करों के रूप में किया जाता है। प्रत्यक्ष करों का संग्रहण मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। संप्रग–II के शासनकाल से ही केंद्र के कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों के अनुपात में निरंतर गिरावट आती जा रही है। २००९–१० में केंद्र के सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का अंश ६१% था, २०१३–१४ में यानी संप्रग सरकार के आखिरी वर्ष में यह घटकर ५६% हो गया। मोदी सरकार के अंतर्गत २०१७–१८ (सं.अ.) में यह और अधिक गिरकर ५२% हो गया। दूसरे शब्दों में, पिछले एक दशक से भी कम समय में इसमें ९ प्रतिशत बिंदु से भी अधिक की गिरावट आई है। *आर्थिक सर्वेक्षण २०१७–१८* में यह स्वीकार किया गया है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता में और अधिक वृद्धि होगी, ऐसी संभावना है कि २०१८–१९ के बजट में केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का अंश गिरकर ५१% रह जाएगा।[24] इसका अर्थ यह है कि इस वर्ष केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात और अधिक विषम होने वाला है।

भारत: न्यून गैर-कर राजस्व

२०१७–१८ (सं.अ.) में अपने गैर-कर राजस्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सांख्यिकीय जादूगरी का सहारा लिया है। बजट पेश करने के कुछ दिन पहले तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), एक सरकारी कंपनी, ने बहुत से बैंकों से पैसा उधार लेकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (एचपीसीएल), एक अन्य सरकारी कंपनी, के ५१.१% सरकारी शेयर खरीद लिए। इस बिक्री से सरकार को ३६,९१५

करोड़ रुपए प्राप्त हुए और सरकार ने इसे २०१७–१८ की विनिवेशीकरण आय में सम्मिलित कर लिया। इससे सरकार की बजटीय प्राप्तियां अनुमानित ७२,५०० करोड़ रुपए से बढ़कर एक लाख करोड़ रुपए हो गईं। इस प्रकार, बाज़ार से उधार लेने के बजाए—जिसके कारण सरकार के राजकोषीय घाटे में और अधिक वृद्धि होती (इस संदर्भ में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी)—सरकार ने यह भार एक सरकारी कंपनी (ओएनजीसी) पर डाल दिया।

यदि इस विषय को बाज़ू में भी रख दिया जाए, तो भी निजी निगमों और अति धनाढ्य वर्ग को बड़ी मात्रा में सार्वजानिक निधि और संसाधनों के हस्तांतरण के कारण सरकार का वास्तविक गैर-कर राजस्व बहुत न्यून है। यदि यह हस्तांतरण न किया जाता तो सरकार अपने गैर-कर राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि कर सकती थी अथवा अपने बजट व्यय में बचत कर सकती थी। अमीरों द्वारा लिए गए कर्ज़ को माफ करना, नगण्य रॉयल्टी के बदले देश की खनिज संपदा एवं संसाधनों का नियंत्रण निजी निगमों को सौंपना, अति न्यून कीमत पर सार्वजानिक क्षेत्र के लाभजनक निगमों का स्वामित्व विदेशी एवं भारतीय निजी व्यावसायिक घरानों को प्रदान करना, 'निजी–सार्वजानिक सहभागिता' के नाम पर अवसंरचनागत परियोजनाओं में निवेश में निजी निगमों को प्रत्यक्ष सब्सिडियां प्रदान करना, आदि इस हस्तांतरण के कुछेक माध्यम हैं। इस प्रकार लाखों करोड़ रुपए की सार्वजानिक संपदा को निजी तिजोरियों में उंडेला जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि *अगर सरकार ने ये हस्तांतरण न किए होते तो वह अपने बजट परिव्यय में लाखों करोड़ रुपए की वृद्धि कर सकती थी।* यहां उदाहरणस्वरूप सिर्फ दो आंकड़ों की चर्चा कर लेते हैं:

- मोदी सरकार के पहले तीन सालों के दौरान सरकारी बैंक बड़े कॉर्पोरेट घरानों का १.८७ लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर चुके हैं।[25] इसके अलावा बैंक 'बड़े और ताकतवर' लोगों का कई लाख करोड़ रुपए का ऋण (वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है) की पुनःसंरचना भी कर चुके हैं—यह घुमाफिराकर कर्ज़ माफी करने का एक तरीका है। इसके बावजूद भी जून २०१७ तक सरकारी बैंकों की कुल अनर्जक आस्तियां (NPAs अर्थात न चुकाया जाने वाला ऋण) ९.५ लाख करोड़ रुपए हो चुकी थीं। अब आरबीआई ने इस ऋण की पुनःसंरचना की प्रक्रिया भी तेज़ कर दी है।[26]

  सरकारी बैंकों के इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार इनको सार्वजनिक निधि में से पूंजी प्रदान करती है, इस प्रक्रिया को बैंकों का पुनःपूंजीकरण कहा जाता है। इस वर्ष सरकार ने घोषणा की है कि वह अगले दो

वर्षों के दौरान सार्वजनिक बैंकों को २.११ लाख करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान करेगी। लेकिन सरकार ने बजट में इस राशि का ज़िक्र नहीं किया है। सरकार का कहना है कि वह १.३५ लाख करोड़ रुपए के पुनःपूंजीकरण बांड ज़ारी करेगी और ५८,००० करोड़ रुपए का इंतज़ाम बैंकों को बाज़ार से करना होगा, बजट संसाधनों में से केवल १८,००० करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। बांड ज़ारी करने का अर्थ यह है कि आने वाले वर्षों में सरकार को इन बांड्स पर ब्याज़ अदा करना होगा—अतः सरकार ने यह भार आने वाले वर्षों के लिए टाल दिया है।

ऋण को बट्टे खाते में डालने का सरकार की आय पर एक और परिणाम यह हुआ है कि प्रभावित बैंक या तो सरकार को लाभांश अदा ही नहीं करते हैं या फिर बहुत कम लाभांश अदा करते हैं। इस कारण वित्त वर्ष २०१७–१८ में सरकार के राजस्व में कई हज़ार करोड़ रुपए की कमी आई है।[27]

- मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए पांचों बजटों में सड़कों एवं राजमार्गों के निर्माण हेतु कुल मिलकर २.६८ लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। सरकार अब राजमार्गों का निर्माण नहीं करती है। इनका निर्माण निजी निगमों द्वारा किया जाता है जो अपने निवेश के एवज़ यात्रियों से टोल टैक्स वसूल करते हैं। तो फिर सड़कों और राजमार्गों के निर्माण हेतु इतनी बड़ी राशि क्यों आवंटित की गई है? यह सरकार द्वारा निजी निगमों को 'प्रोत्साहन' के रूप में दी गई सब्सिडी है—यह ऋण नहीं बल्कि अनुदान है—ताकि वे राजमार्गों के निर्माण में निवेश करने को उत्सुक हों;[28] यह अलग बात है कि इस सब्सिडी—जो कि कुल परियोजना लागत का ४०% तक होती है—के साथ-साथ ये निगम टोल के द्वारा अर्जित आय को भी अपनी जेब में डाल लेते हैं।

कॉर्पोरेट घरानों द्वारा देश की संपदा और संसाधनों की यह अंधी लूट इस हद तक पहुंच चुकी है कि भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन—जो कि स्वयं नवउदारवाद एवं वैश्वीकरण के धुर समर्थक हैं—तक ने "धनलोलुप राजनेताओं" और "क्रोनी कैपिटलिस्टों" की इस आपसी सांठगांठ की आलोचना की है। इस तथ्य पर प्रकाश डालने के पश्चात कि प्रति ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के आधार पर विश्व में भारत में (रूस के पश्चात) अरबपतियों की सबसे बड़ी संख्या है, उन्होंने इंगित किया कि "तीन कारक—ज़मीन, प्राकृतिक संसाधन और सरकारी संविदाएं अथवा लाइसेंस—हमारे अरबपतियों की संपदा का प्रधान स्रोत हैं। और इन तीनों कारकों का स्रोत सरकार में

निहित है।"[29]

विश्व बैंक द्वारा थोपी गई नवउदारवादी नीतियों के परिणामस्वरूप देश के अति धनाढ्य वर्ग की संपदा में तीव्र वृद्धि हुई है। *स्वदेशी* मोदी सरकार ने नवउदारवाद को और अधिक गति प्रदान की है जिसके कारण पूंजी का संकेंद्रण और अधिक बढ़ा है। वर्ष २००० में देश के १% अमीरतम लोगों के पास देश की कुल संपदा का ३६.८% संकेंद्रित था। जब २०१४ में मोदी सत्ता में आए तो इस तबके के पास देश की ४९% संपदा थी। सिर्फ दो ही सालों में, २०१६ तक, यह आंकड़ा बढ़कर ५८.४% तक जा पहुंचा है।[30]

भारत: निम्न सामान्य राजस्व

कर छूट और गैर-कर छूट के रूप में धनाढ्य वर्ग को दी जाने वाली ये विशाल छूटें / सब्सिडियां / हस्तांतरण ही सरकार के निम्न राजस्व एवं न्यून बजटीय परिव्यय का मुख्य कारण हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व के मामले में भारत दुनिया के सबसे निचले देशों में शामिल है। यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों में यह ४०% से अधिक है जबकि बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क और फिनलैंड में यह ५०% से भी ऊपर है। दक्षिण अफ्रीका में २९.७%, अर्जेंटीना में ३६.६% तथा ब्राजील में यह ३१.६% है। वैश्विक औसत ३०.२% है। भारत बहुत नीचे है, भारत सरकार का कुल राजस्व इसकी जीडीपी का मात्र २०.८% है (इसमें केंद्र + राज्यों दोनों का राजस्व शामिल है)।[31]

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि यदि भारत सरकार अमीरों को दी जाने वाली अकूत सब्सिडियों में कटौती करे, तो उसके कुल राजस्व में काफी वृद्धि हो सकती है। कितनी वृद्धि हो सकती है इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि अन्य देशों की तुलना में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का कुल राजस्व (२०%) वैश्विक औसत (३०%) से काफी कम है। यानी भारत सरकार अपने कुल राजस्व में ५०% की वृद्धि तो कर ही सकती है—और तब भी उसका कुल कर राजस्व विश्व औसत के बराबर ही पहुंचेगा। चूंकि अधिकांश राजस्व केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है, इसका अर्थ यह है कि वर्ष २०१८–१९ में केंद्र सरकार अपने कुल राजस्व में कम-से-कम ५०% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान २४ लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर ३६ लाख करोड़ कर सकती थी (और इस प्रकार वर्ष २०१८–१९ के बजटीय परिव्यय में १२ लाख करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए इसे ३६ लाख करोड़ रुपए कर सकती थी)।

५. बजट और कृषि

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि "सरकार किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है"। उन्होंने पिछले दो बजटों के दौरान किए गए अपने वादे—२०२२ तक किसानों की आमदनी दुगुनी करना—को फिर से दुहराया। किसानों के प्रति अपनी चिंता का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने बजट में 'किसान' और 'कृषि' शब्द को बार-बार दुहराया। उन्होंने किसानों के लिए बहुत सी बड़ी-बड़ी घोषणाएं भी कीं। लगभग सभी समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने उनके बजट को कृषि हितैषी बजट के रूप में प्रस्तुत किया।

हालांकि सभी बजट भाषणों में थोड़ी-बहुत लाग-लपेट होती ही है, लेकिन जेटली ने अपने २०१८–१९ के बजट भाषण में झूठ का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वित्त मंत्री ने बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणाएं तो कर दीं, लेकिन उन घोषणाओं के लिए एक पैसे तक का आवंटन नहीं किया:

- जेटली ने मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों हेतु अवसंरचना के विकास के लिए कुल लगभग १०,००० करोड़ रुपए की दो निधियों की घोषणा की। लेकिन वास्तविक बजट आवंटन में उन्होंने मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास निधि हेतु केवल १० करोड़ रुपए और डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि हेतु केवल ३७ करोड़ रुपए, यानी कि कुल मिलाकर दोनों योजनाओं हेतु केवल ४७ करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि का तो ज़िक्र तक नहीं है।
- उन्होंने लगभग २२,००० कृषि हाटों तथा ५८५ कृषि उत्पाद विपणन समितियों—जहां किसान अपना उत्पाद बेचने के लिए आते हैं—के विकास हेतु २,००० करोड़ रुपए के एक कृषि-बाज़ार अवसंरचना निधि की स्थापना की भी घोषणा की। यह भी केवल कागज़ी योजना है, बजट में इसके लिए राशि आवंटित नहीं की गई है।
- उन्होंने ऐसे ९६ ज़िलों में जहां ३०% से भी कम भूमि को सिंचाई उपलब्ध है, भूजल सिंचाई के विकास हेतु २,६०० करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। लेकिन वास्तविक आवंटन केवल ३१० करोड़ रुपए ही किया गया है। बजट दस्तावेज़ के अनुसार शेष २,२९० करोड़ रुपया देशभर में अपूर्ण सिंचाई योजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु २०१६–१७ बजट के दौरान स्थापित की गई एक नाबार्ड निधि की ब्याज़ अदायगी हेतु उपयोग किया जाएगा।

- जेटली ने बांस कृषि के द्वारा ग्रामीण आय को बढ़ावा देने हेतु "१,२९० करोड़ रुपए परिव्यय के साथ एक पुनःसंरचित राष्ट्रीय बांस मिशन" की शुरुआत करने की भी घोषणा की, जबकि वास्तविक आवंटन केवल ३०० करोड़ रुपए किया गया है।

एमएसपी संबंधी वादे

जिस घोषणा की सबसे अधिक चर्चा हुई, और मीडिया ने जिसे खूब उछाला, वह यह थी कि सरकार फसलों की लागत से ५०% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करेगी। लेकिन यहां भी बाज़ीगरी कर दी गई। जेटली ने दावा किया कि रबी की फसलों हेतु सरकार द्वारा घोषित किया गया एमएसपी पहले से ही लागत मूल्य से ५०% अधिक है, और बाकी बची फसलों के लिए भी सरकार अपने २०१४ लोकसभा चुनावों के घोषणापत्र में किए गए इस वादे को शीघ्र ही पूरा करेगी।

विचित्र बात यह है कि फरवरी २०१५ में इसी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में यह हलफनामा दायर किया था कि उत्पादन लागत से ५०% अधिक एमएसपी की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता।[32] तो फिर वित्त मंत्री यह दावा कैसे कर रहे हैं कि सरकार पहले से ही रबी की फसलों के लिए उत्पादन लागत से ५०% अधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है?

इसका उत्तर जेटली की उत्पादन लागत की परिभाषा में निहित है। उन्होंने उत्पादन लागत की गणना करने का सूत्र ही बदल दिया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी), जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, इस संकल्पना की तीन परिभाषाओं का प्रयोग करता है:

- A2: इसमें किसी फसल को उगाते समय किसान द्वारा किए गए सभी नगदी खर्चों को सम्मिलित किया जाता है; इसमें बीज, खाद, कीटनाशक का खर्च एवं मज़दूरों को दिया भुगतान शामिल है।
- A2+FL: इसमें वास्तविक लागत (A2) के साथ-साथ खेत में काम करने वाले परिवार के सदस्यों की अभ्यारोपित लागत को भी सम्मिलित किया जाता है।
- C2: इसमें A2+FL के साथ किराए की अभ्यारोपित लागत और स्वामित्वाधीन भूमि एवं पूंजी परिसंपत्तियों का ब्याज़ शामिल है।

प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में तैयार राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसानों को 'C2' उत्पादन लागत—जो कि सर्वग्राही उत्पादन लागत है—से ५०% अधिक एमएसपी प्रदान किया जाना चाहिए।[33]

किसान संगठन एक दशक से भी अधिक समय से इस रिपोर्ट को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। अतः जब मोदी २०१४ चुनाव प्रचार के समय यह वादा करते हुए घूम रहे थे कि एमएसपी उत्पादन लागत से ५०% अधिक निर्धारित किया जाएगा, और जब भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया, तब वे निश्चित ही C2 लागत की ही बात कर रहे थे। जेटली ने अब इसे बदलकर A2+FL कर दिया है, उन्होंने राज्य सभा में संघीय बजट २०१८–१९ संबंधी एक बहस में इस तथ्य को स्वीकार भी किया है।[34]

जब सीएसीपी एमएसपी के माध्यम से "किसानों के प्रतिलाभ" की गणना करता है, तब वह A2+FL पर प्राप्त लाभ को "सकल प्रतिलाभ" तथा C2 पर प्राप्त लाभ को "शुद्ध प्रतिलाभ" के रूप में चिन्हित करता है। जिसे घरेलू आर्थिकी की थोड़ी-बहुत भी समझ है, वह स्पष्ट ही यह समझ सकता है कि "शुद्ध आय" ही वास्तविक आय होती है।[35]

तालिका ६ में हम संप्रग–II सरकार के पांच वर्षों तथा भाजपा सरकार के प्रथम चार वर्षों के दौरान कृष्य क्षेत्र के अनुसार (गन्ने की फसल के अतिरिक्त, इसकी मूल्य गणना भिन्न है) देश की ९ सर्वोच्च फसलों का शुद्ध प्रतिलाभ एवं सकल प्रतिलाभ प्रदान कर रहे हैं।

तालिका ६: विभिन्न फसलों हेतु सकल प्रतिलाभ एवं शुद्ध प्रतिलाभ[36] *(%)*

फसल	*C2 पर एमएसपी का शुद्ध प्रतिलाभ*		*A2+FL पर एमएसपी का सकल प्रतिलाभ*	
	संप्रग–II का औसत (२००९–१४)	*भाजपा का औसत (२०१४–१८)*	*संप्रग–II का औसत (२००९–१४)*	*भाजपा का औसत (२०१४–१८)*
चावल	२३%	६%	६९%	३९%
गेहूं	३६%	३२%	११२%	१०१%
कपास	३०%	२%	८०%	३९%
सोयाबीन	११%	८%	५०%	४८%
मकई	१०%	७%	४६%	४१%
चना	१७%	१६%	७६%	७१%
बाजरा	१६%	१२%	५७%	४७%
ज्वार	–८%	–१८%	१९%	९%
सरसों	३६%	२९%	१२०%	९७%

इस तथ्य पर गौर कीजिए कि जब A2+FL की बजाए C2 को आधार लागत बनाया जाता है तो प्रतिलाभ में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। इस बात पर भी गौर कीजिए कि कांग्रेस शासन की तुलना में भाजपा शासन के दौरान प्रतिलाभ में बड़ी गिरावट आई है।

तालिका ६ यह स्पष्ट कर देती है कि किसान संगठन क्रुद्ध क्यों हैं और जेटली के इस दावे का विरोध क्यों कर रहे हैं कि सरकार पहले से रबी फसलों के लिए लागत से ५०% अधिक एमएसपी प्रदान कर रही है। यह भाजपा के अपने चुनावी वादों से फिर जाने का एक और उदाहरण है।

खरीद संबंधी झूठ

चाहे कितना भी एमएसपी घोषित किया गया हो, किसानों की बड़ी समस्या यह है कि उन्हें अपनी फसलों के लिए यह दाम नहीं मिलता है। सरकार केवल कुछेक फसलों की खरीद करती है, मुख्यतः चावल, गेहूं, कपास तथा कभी-कभी दालें। (हालांकि सरकार गन्ना नहीं खरीदती है, लेकिन चीनी मिलों को एमएसपी जैसी ही व्यवस्था में कानूनी तौर पर सरकार द्वारा निर्धारित किए दाम पर गन्ना खरीदना होता है।) और यह खरीद भी केवल कुछेक राज्यों (जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश) के कुछेक क्षेत्रों तक ही सीमित है। शांता कुमार समिति ने यह स्वीकार किया है कि ९४% किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाता है।[37]

चार साल की हीला-हवाली के बाद वित्त मंत्री ने अंततः अपने बजट में इस समस्या को स्वीकार किया। इस बीच कुछ हज़ार किसान आत्महत्या कर चुके थे। वित्त मंत्री ने सुझाया है कि "केंद्र और राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर नीति आयोग एक ऐसी प्रभावी व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसके माध्यम से किसानों को अपने उत्पाद का वाजिब दाम मिल सके।" लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप इस वादे के क्रियान्वयन के लिए भी उन्होंने किसी निधि का आवंटन नहीं किया है।

सरकारी खरीद को बजट में 'खाद्य सब्सिडी' शीर्षक के अंतर्गत दर्ज़ किया जाता है। पिछले वर्ष सरकार ने इसके लिए १.४५ लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था, लेकिन केवल १.४० लाख करोड़ ही खर्च किया। इस वर्ष खाद्य सब्सिडी को बढ़ाकर १.६९ लाख करोड़ रुपए किया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में यह १६.५% अधिक है। यदि यह मानकर चलें कि इस पूरी राशि को खर्च किया जाएगा, तो भी पिछले वर्ष की कीमतों पर भी सरकारी खरीद में महत्त्वपूर्ण विस्तार करने हेतु यह राशि पर्याप्त नहीं है, एमएसपी में बढ़ोतरी को तो भूल ही जाएं।

जेटली सरकारी खरीद के विस्तार के प्रति गंभीर नहीं हैं, यह तथ्य फसल खरीद संबंधी अन्य योजनाओं हेतु किए गए आवंटन से भी सिद्ध हो जाता है। सरकार 'बाज़ार हस्तक्षेप योजना' के तहत एक सीमित अवधि के लिए दलहन और तिलहन की खरीद करती है। इस वर्ष सरकार ने इस योजना का बजट ९५० करोड़ रुपए से घटाकर २०० करोड़ कर दिया है। जेटली ने मूल्य स्थिरीकरण कोष के बजट में भी कटौती कर दी है (इस कोष को कृषि मंत्रालय से हस्तांतरित करके उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत लाया गया है), इस निधि के द्वारा कीमतों की अस्थिरता से बचने हेतु दलहन का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। इसका बजट २०१६–१७ में ६,९०० करोड़ रुपए था, २०१७–१८ में इसे घटाकर ३,५०० करोड़ किया गया, और २०१८–१९ में यह केवल १,५०० करोड़ रुपए रह गया है। पहले खाद्यानों एवं सब्ज़ियों हेतु भी इस निधि का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे केवल दलहन तक सीमित कर दिया गया है।

बीमा घोटाला

सरकार की बहुचर्चित बीमा योजना—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना—किसानों को उत्पादन समर्थन प्रदान करने का एक और माध्यम है। यह योजना आपात घटनाओं के कारण फसल खराब हो जाने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसान अनुदानित दर पर प्रीमियम का भुगतान करते हैं, बाकी प्रीमियम केंद्र एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भरा जाता है। यह योजना भी सार्वजनिक निधि को निगमों की ओर हस्तांतरित करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है—जनकल्याण के नाम पर यह योजना बीमा कंपनियों के लिए लाभ अर्जित करने का औज़ार बनकर रह गई है। जुलाई २०१७ में संसद के सामने प्रस्तुत किया गया डाटा यह उद्घाटित करता है कि वर्ष २०१६–१७ की खरीफ और रबी फसलों के समय ११ बीमा कंपनियों ने फसल बीमा प्रीमियम के तौर पर २०,३७४ करोड़ रुपए प्राप्त किए, लेकिन उन्होंने केवल ३,६५५ करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया (बीमा कंपनियों ने कुल प्राप्त दावों में से केवल ६३% का ही भुगतान किया है)। इस प्रकार सिर्फ एक साल में इस योजना के माध्यम से बीमा कंपनियों ने १६,७०० करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया।[38]

लेकिन किसानों को कर्ज़ माफी नहीं

विश्व बैंक द्वारा थोपी गई नवउदारवादी नीतियों के अंतर्गत सरकार १९९१ से ही किसान विरोधी नीतियां लागू करती आ रही है जिनके कारण कृषि संकट गहराता जा रहा है और ७०% किसानों—जिनके पास औसतन १ हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है—की आय में गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, १९९२ से २०१२ के दो दशकों के दौरान

कर्ज़दार कृषक परिवारों (इसका अर्थ है कम-से-कम ०.००२ हेक्टेयर पर कृषि करने वाले ग्रामीण परिवार) की संख्या २५.९% से बढ़कर ४५.९% हो गई है [राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey या NSS) द्वारा किए गए अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण के अनुसार]। प्रति कर्ज़दार परिवार औसत ऋण की मात्रा में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है, और २०१२ में यह १.५ लाख हो गया था।[39] भारत के सीमान्त किसानों के लिए इस ऋण में अनौपचारिक स्रोतों, विशेषतः सूदखोरों, से लिया गया अंश बढ़ता जा रहा है। इस गहराते हुए कृषि संकट के कारण ही पिछले दो दशकों के दौरान लगभग ३.५ लाख किसानों ने आत्महत्या की है।[40] मोदी सरकार के पहले साल के दौरान किसानों की आत्महत्या की संख्या दुगुनी हो गई[41] (इसके पश्चात का डाटा उपलब्ध नहीं है)।

यदि सरकार इस गहराते कृषि संकट में फंसे किसानों को राहत दिलाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ कर देने चाहिए। देशभर के किसान आंदोलन इस मांग को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं।

यह दावा कोई नहीं कर रहा है कि किसानों का ऋण माफ कर देने से कृषि संकट हल हो जाएगा। इसके लिए तो एक सर्वग्राही राष्ट्रीय कृषि नीति बनानी होगी। लेकिन कर्ज़माफी ऐसी किसी भी नीति की दिशा में निःसंदेह एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। कर्ज़माफी की बजाए जेटली ने अपने बजट भाषण में किसानों को और अधिक ऋण देने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने वादा किया है कि कृषि के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह को १० लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर आगामी वित्त वर्ष में ११ लाख करोड़ किया जाएगा। लेकिन यह भी केवल कागज़ी घोषणा है, बजट में इसका सुराग तक नहीं मिलता। कारण: जेटली केवल यह वादा कर रहे हैं कि बैंक इतनी रकम किसानों को उधार देंगे। इसका बजट से कोई लेना-देना नहीं है! इसके बारे में भी सच्चाई यह है कि कृषि ऋण के नाम पर बैंक जो ऋण देते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा कृषिव्यवसायी निगमों को मिलता है, किसानों को नहीं।[42] किसान संगठन यह मांग कर रहे हैं कि सरकार अपवर्जित कृषक समुदायों (जैसे कि स्त्री किसान, आदिवासी किसान, काश्तकार तथा भूमिहीन किसान) को संस्थागत ऋण की परिधि में लेकर आए। लेकिन जेटली ने इस मांग पर भी ध्यान नहीं दिया है। कृषि ऋण के संबंध में बजट में केवल एक प्रावधान किया गया है, किसानों को ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करना; पिछले वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी इसके लिए केवल १५,००० करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

कृषि हेतु बजट आवंटन

बजट में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग हेतु आवंटित की गई राशि से हम यह समझ सकते हैं कि वित्त मंत्री कृषि हेतु कितने गंभीर हैं। इस विभाग के लिए ४६,७०० करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हालांकि यह मद २०१७–१८ बजट अनुमान से ११.६% अधिक है, लेकिन फिर भी यह कुल बजट परिव्यय का केवल १.९१% है (तालिका ७)।

तालिका ७: कृषि संबंधी मंत्रालयों हेतु बजट आवंटन *(करोड़ रुपए में)*

		२०१७–१८ ब.अ. (६)	*२०१७–१८ सं.अ.*	*२०१८–१९ (७)*	*(६) से (७) की वृद्धि, सीएजीआर*
१.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	५१,०२६	५०,२६४	५७,६००	१२.८८%
	इसके अंतर्गत:				
	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	४१,८५५	४१,१०५	४६,७००	११.६%
	पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग	२,३७१	२,१६७	३,१००	
	बजट परिव्यय के % के रूप में (१)	२.३८%	२.२७%	२.३६%	
२.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	१,०७,७५८	१,१०,८७४	१,१४,९१५	६.६४%
३.	जल संसाधन मंत्रालय	६,८८७	७,६६०	८,८६०	२८.६५%
४.	उर्वरक विभाग	७०,०३३	६५,०३३	७०,१२५	०.१३%
५.	कुल कृषि व्यय (१+२+३+४)	२,३५,७०४	२,३३,८३१	२,५१,५००	६.७०%
	बजट परिव्यय के % के रूप में (५)	१०.९८%	१०.५४%	१०.३०%	
	जीडीपी के % के रूप में (५)	१.४%	१.३९%	१.३४%	

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में गैर-फसली गतिविधियों की महत्ता पर बहुत ज़ोर दिया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान निरंतर

घटता जा रहा है, लेकिन पिछले दो दशकों के दौरान कृषि जीडीपी में पशुधन उपक्षेत्र (इसमें डेयरी, मुर्गीपालन तथा मांस उद्योग शामिल हैं) तथा मत्स्यपालन उपक्षेत्र के अंश में निरंतर वृद्धि हुई है; १९७० के दशक के अंत तक इनका योगदान १५% से कम था, २०१२–१३ में यह बढ़कर ३३% से अधिक हो गया।[43] पशुधन क्षेत्र बहुत सारे छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करता है। *आर्थिक सर्वेक्षण* २०१०–११ में यह अनुमान प्रस्तुत किया गया है कि मत्स्यपालन, एक्वाकल्चर तथा संबंधित गतिविधियां लगभग १.४ करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करती हैं। हालांकि २०१७–१८ (सं.अ.) की तुलना में २०१८–१९ में पशुपालन, डेयरी व मत्स्यपालन विभाग के बजट में ९३० करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, लेकिन कुल बजट परिव्यय मात्र ३,१०० करोड़ रुपए है जो कि बहुत ही कम है। इस विभाग की वृद्धि में से ५९६ करोड़ रुपए की वृद्धि 'श्वेत क्रांति' के लिए की गई है, जो कि गौ रक्षकों की बढ़ती हुई गुंडागर्दी की नुकसान भरपाई के लिए नाकाफी है, जिसने किसानों के लिए पशुपालन को एक खतरनाक काम बना दिया है।

ग्रामीण विकास हेतु अपर्याप्त निवेश

कृषि की स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सामान्य अवस्थिति पर निर्भर करती है, इसीलिए कृषि के विकास हेतु ग्रामीण विकास में निवेश करना अति आवश्यक है। इस दिशा में परिव्यय की स्थिति पूर्णतः निराशाजनक है। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में इस बार ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास मंत्रालय) हेतु आवंटन में केवल ३.६% की वृद्धि की गई है—जो कि मुद्रास्फीति से भी कम है (तालिका ७)।

'प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण' ग्रामीण विकास विभाग की एक महत्त्वपूर्ण योजना है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह योजना इसलिए तैयार की है ताकि "२०२२ तक इस देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति के पास अपना घर हो"। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष २०१७–१८ और वर्ष २०१८–१९ में ५१-५१ लाख मकानों का निर्माण करेगी। लेकिन उन्होंने इस बात का ज़िक्र नहीं किया कि वर्ष २०१७–१८ में कितने मकान बनाए गए। इसका कारण सरल है: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट कहती है कि १४ मार्च २०१८ तक केवल ७.४५ लाख मकानों का निर्माण किया गया था।[44] २०१८–१९ के लिए वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष की तुलना में इस योजना के बजट में ९% की कटौती कर दी है (२३,००० करोड़ रुपए से घटाकर २१,००० करोड़)। स्पष्ट है कि यह भी जेटली का एक और झूठ है, सरकार मकान बनाने को लेकर गंभीर नहीं है। जेटली ने ग्रामीण

क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के बारे में भी बड़े-बड़े वादे किए। लेकिन इस वर्ष भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पिछले वर्ष जितनी ही राशि (१९,००० करोड़ रुपए) आवंटित की गई है—मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें तो वास्तविक आवंटन घटा है (तालिका ८)।

तालिका ८: ग्रामीण विकास विभाग हेतु बजट आवंटन *(करोड़ रुपए)*

	२०१७–१८ ब.अ.	*२०१७–१८ सं.अ.*	*२०१८–१९*
ग्रामीण विकास विभाग	१,०५,४४८	१,०९,०४२	१,१२,४०४
इसमें से:			
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	४,५००	४,३५०	५,७५०
प्रधानमंत्री आवास योजना	२३,०००	२३,०००	२१,०००
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	१९,०००	१६,०००	१९,०००
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना	४८,०००	५५,०००	५५,०००
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	९,५००	८,७४५	९,९७५

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए आवंटन भी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत किया जाता है। भगवान जाने कि इस विभाग के अंतर्गत आवंटन क्यों किया जाता है। बजट में गरीबों और विशेषतः असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का यह सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके तहत ४० वर्ष से ऊपर की विधवाओं तथा ६० साल से ऊपर के वृद्धों को केवल २०० रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। सरकार इसमें भी बचत करने की जुगत में लगी रहती है। वह इस योजना में सभी वृद्धों का पंजीकरण कराने का कोई प्रयास नहीं करती, अतः २०१७–१८ का संशोधित अनुमान बजटीय अनुमान से ७५० करोड़ रुपए कम है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के तहत सरकार की ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना ग्रामीण विकास विभाग की सबसे महत्त्वपूर्ण योजना है। यह योजना प्रत्येक इच्छुक परिवार को साल में कम-से-कम १०० दिन का रोज़गार प्रदान करने की गारंटी देती है। हालांकि यह बहुत कम रोज़गार है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। यह योजना गहराते हुए ग्रामीण संकट में थोड़ी राहत प्रदान करने तथा भोजन सुरक्षा को सुधारने का काम कर सकती है। बहुत से अध्ययन इस योजना के

सकारात्मक प्रभावों को उद्घाटित कर चुके हैं, जैसे कि ग्रामीण आय में वृद्धि, भोजन की उपलब्धता में वृद्धि और इसलिए भुखमरी में कमी, तथा ग्रामीण क्षेत्रों से संकटकालीन स्थानांतरण को कम करना।

इस महत्त्वपूर्ण योजना के लिए भी पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान जितना ही (५५,००० करोड़ रुपए) आवंटन किया गया है। इसका अर्थ यह है कि वास्तव में इसमें कटौती हुई है। इसके अलावा, इस वर्ष आवंटित की गई राशि का एक हिस्सा पिछले वर्ष की देयताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इन देयताओं हेतु लगभग ६,००० करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।[45] इसका अर्थ यह है कि पिछले वर्ष के बराबर परिव्यय करने हेतु २०१८–१९ के लिए आवंटन ५५,००० + ४,००० (८% मुद्रास्फीति) + ६,००० = ६५,४०० करोड़ रुपए होना चाहिए था। २०१८–१९ हेतु वास्तविक आवंटन इससे १६% कम है।

दूसरा, यदि सरकार ने इस वर्ष के लिए आवंटन पिछले वर्ष के बराबर कर भी दिया होता, तो भी वह इस योजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त न होता। मनरेगा एक मांग-आधारित योजना है, यह प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को १०० दिन का रोज़गार प्रदान करवाती है। २००६ में जब से यह योजना शुरू की गई है तब से किसी भी सरकार ने इसके लिए इतनी राशि का आवंटन नहीं किया है कि सभी इच्छुकों को १०० दिन का रोज़गार मिल सके। मोदी सरकार के चार वर्षों के दौरान अब तक प्रति परिवार ५० व्यक्ति-दिन से भी कम रोज़गार प्रदान करवाया गया है (तालिका ९)। इस कटौती का सबसे बुरा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के दरिद्रतम लोगों पर पड़ा है।

तालिका ९: नरेगा प्रदर्शन संकेतक[46]

	२०१४–१५	२०१५–१६	२०१६–१७	२०१७–१८
सृजित रोज़गार (करोड़ व्यक्ति-दिन में)	१६६	२३५	२३५	२३०.९५
प्रति परिवार औसत रोज़गार दिवस	४०.१७	४८.८५	४६	४५.३६

एक अन्य योजना जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक लाभ पहुंचा सकती है, वह है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना (हालांकि यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है)। इसके अंतर्गत ग्रामीण (और नगरीय) क्षेत्रों में गरीबों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, "यदि एक घंटा भी बिजली चली जाती है तो हमारी बेचैनी

बहुत बढ़ जाती है। अब उन बच्चों और महिलाओं के बारे में सोचिए जिनके घरों को बिजली मयस्सर ही नहीं है।" उन्होंने घोषणा की कि "इस योजना के अंतर्गत १६,००० करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे" और दिसंबर २०१८ तक ४ करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। थोड़ा करीबी से गौर करने पर पता चलता है कि वित्त मंत्री फिर झूठ बोल रहे हैं। यह योजना सितंबर २०१७ में शुरू की गई थी और सरकार ने २०१७ से २०१९ तक के दो वर्षों के लिए १६,३२० करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया था (जिसमें से ग्रामीण परिवारों हेतु १४,०२५ करोड़ रुपए खर्च होना था)। इसमें से केंद्र को १२,३२० करोड़ रुपए प्रदान करना था। वित्त वर्ष २०१७–१८ में केंद्र सरकार को इस योजना हेतु ३,६०० करोड़ रुपए देने थे, लेकिन उसने केवल २,००० करोड़ रुपए ही दिए। इस वर्ष ८,७२० करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना था, लेकिन केवल ३,५०० करोड़ रुपए आवंटित किया गया।[47]

कृषि संबंधी कुल आवंटन

आइए, अब कृषि संबंधी सभी क्षेत्रों (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय तथा उर्वरक विभाग) के लिए कुल बजट का जाएज़ा लेते हैं। जैसा कि तालिका ७ से स्पष्ट है, इस वर्ष इन सभी मंत्रालयों / विभागों का कुल बजट २.५१ लाख करोड़ रुपए है। २०१७–१८ में यह कुल बजट परिव्यय का ११% था, २०१८–१९ में यह घटकर १०.३०% हो गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि संबंधी सभी क्षेत्रों के लिए कुल परिव्यय बजट का केवल १.३४% है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान में यह १.४% था। जिस क्षेत्र पर देश की ५०% से अधिक जनसंख्या की आजीविका निर्भर करती है, उस क्षेत्र की यह हालत है!

जैसा कि हम कई पूर्ववर्ती लेखों में स्पष्ट कर चुके हैं,[48] हालांकि मोदी–जेटली दोनों ही किसान कल्याण के बारे में बड़ी-बड़ी डींगें मारते रहते हैं, जैसे कि २०२२ तक किसानों की आय दुगुनी करना आदि, लेकिन उनके द्वारा लागू की गई नीतियों के कारण कृषि संकट और अधिक बढ़ गया है। इन्हीं नीतियों के कारण मोदी सरकार के चार वर्षों के दौरान कृषि जीडीपी संवृद्धि दर गिरकर सिर्फ १.९% प्रति वर्ष रह गई है जबकि संप्रग सरकार के दस वर्षों (२००४–०५ से २०१३–१४) के दौरान यह ३.७% प्रति वर्ष थी।[49]

क्या मोदी सरकार के पास कृषि क्षेत्र पर खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं? निश्चित तौर पर हैं। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है, यदि सरकार कॉर्पोरेट घरानों को दी जाने वाली विशाल सब्सिडी और हस्तांतरण में कटौती कर दे, तो वह कृषि संबंधी

क्षेत्रों पर अपने परिव्यय में दुगुनी, यहां तक कि तिगुनी तक की वृद्धि कर सकती है, इस क्षेत्र को वर्तमान २.५ लाख करोड़ रुपए की बजाए ५–७.५ लाख करोड़ प्रदान किए जा सकते हैं। सरकार सारे कृषि ऋण भी माफ कर सकती है, इससे सरकार के ऊपर ३ लाख करोड़ रुपए से अधिक का बोझ नहीं पड़ेगा।[50]

इसके विपरीत मोदी सरकार किसान विरोधी नीतियां क्यों लागू करती जा रही है? इनके कारण लाखों किसानों को खेती छोड़नी पड़ी है और किसान आत्महत्याओं में तीव्र वृद्धि हुई है। नीति आयोग, सरकार को नीति निर्माण में परामर्श देने वाला संस्थान, द्वारा २०१५ में तैयार किए गए एक प्रपत्र से इसका कारण स्पष्ट हो जाता है। इसमें कहा गया है कि लघु स्तरीय खेती कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा है:

> *घरेलू एवं वैश्विक बाज़ार में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर कृषि-व्यवसाय में निवेश करने को उत्सुक है, अतः इस क्षेत्र हेतु स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण प्रदान करने वाले सुधारों की आवश्यकता है। लघु स्तर इस क्षेत्र की वृद्धि में एक बड़ी बाधा है, यह भारतीय किसानों की एक बड़ी संख्या द्वारा उच्च मूल्य की कृषि अपनाने के मार्ग में भी बाधा है।*[51]

कृषि क्षेत्र में नवउदारवादी नीतियों का वास्तविक उद्देश्य यही है—कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देना। लेकिन छोटे किसानों को कृषि से बाहर किए बगैर यह उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। एक अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ में यह उद्देश्य भी बिलकुल दोटूक अभिव्यक्त किया गया है। इसके अनुसार अगले पांच सालों में, यानी कि २०२२ तक, कृषिकार्य में लिप्त जनसंख्या को वर्तमान ५७% से घटाकर ३८% तक लाया जाना है।[52] मज़ेदार बात यह कि इसे राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद की एक रिपोर्ट में कहा गया है। इसका कारण स्पष्ट है—किसानों को कृषि से बाहर ढकेलने के बाद उन्हें फैक्ट्री मज़दूरों के रूप में प्रशिक्षित करने की ज़रूरत पड़ेगी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि आज़ाद भारत के इतिहास में मोदी सरकार सबसे अधिक किसान विरोधी सरकार है।

६. जेटली और सामाजिक क्षेत्र

सार्वजनिक सामाजिक क्षेत्र व्यय: भारत बनाम अन्य राष्ट्र

अधिकांश विकसित देशों ने अपने नागरिकों के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था की हुई है, जैसे कि बेरोज़गारी भत्ता, सार्वभौम स्वास्थ्य सुविधा,

निःशुल्क विद्यालयी शिक्षा तथा निःशुल्क अथवा सस्ती विश्वविद्यालयी शिक्षा, बुढ़ापा पेंशन, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ, शिशु देखभाल भत्ता जैसे पारिवारिक भत्ते, और निर्धन भत्ता। लोगों को ये सामाजिक सेवाएं प्रदान करवाने के लिए सरकारें बहुत बड़ी मद खर्च करती हैं। पिछले कई वर्षों के दौरान ओईसीडी के ३४ देश सामाजिक क्षेत्रों पर अपने जीडीपी का लगभग २०% अंश व्यय करते आ रहे हैं; ईयू–२७ में तो यह और भी अधिक, जीडीपी का लगभग ३०%, है।

लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन के २१ देशों ने पिछले दशक के दौरान अपने सामाजिक क्षेत्र व्यय में काफी बढ़ोतरी की है, २००१–०२ में यह जीडीपी का लगभग ४.८% हुआ करता था, २००९–१० में यह बढ़कर १८.६% हो गया। अर्जेन्टीना में यह व्यय जीडीपी का २७.८%, ब्राजील में २७.१% और क्यूबा में तो ४०.७% तक है (सभी आंकड़े २००९ के हैं)।[53]

इसके विपरीत भारत सरकार का सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय अत्यंत न्यून है। जेटली तथा वित्त मंत्रालय में उनके पूर्ववर्ती और उनके अमेरिकी आर्थिक सलाहकार यह मिथ्याप्रचार करते आ रहे हैं कि भारत में सब्सिडियां बहुत अधिक हैं। *आर्थिक सर्वेक्षण २०१७–१८* में यह स्वीकार किया गया है कि भारत सरकार (केंद्र और राज्य मिलाकर) का सामाजिक सेवा व्यय २०१७–१८ (ब.अ.) में लगभग ११ लाख करोड़ रुपए था, यानी कि जीडीपी का मात्र ६.६%।[54]

सामाजिक क्षेत्र में कुल सरकारी व्यय (केंद्र तथा राज्य मिलाकर) का ज़्यादा हिस्सा राज्यों द्वारा खर्च किया जाता है। २००७–०८ से २०१०–११ के दौरान कुल सामाजिक क्षेत्र व्यय में केंद्र का हिस्सा लगभग २५% था, इसके बाद से इसमें निरंतर गिरावट आती गई है और २०१७–१८ में यह १८% रह गया था।[55] राज्यों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक क्षेत्र व्यय का एक बड़ा हिस्सा केंद्र द्वारा दिए गए अनुदानों के माध्यम से किया जाता है। अतः, केंद्र सरकार की वरीयताएं देश में कुल सामाजिक क्षेत्र व्यय को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं।

हमारे पास २०१८–१९ में केंद्र सरकार द्वारा किए गए सामाजिक क्षेत्र व्यय का सही-सही अनुमान उपलब्ध नहीं है, बजट में इस आंकड़े का ज़िक्र नहीं किया गया है। लेकिन कुल बजट परिव्यय तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के व्यय (इसका ज़िक्र लेख में आगे किया गया है) को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार का सामाजिक क्षेत्र व्यय (जीडीपी के % के रूप में) २०१७–१८ के व्यय के आस-पास ही होगा, अतः हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह आंकड़ा २.२ लाख करोड़ रुपए के आस-पास होगा।

क्या जेटली सरकार के राजस्व में (तथा केंद्र द्वारा राज्यों को किए जाने वाले हस्तांतरण में) वृद्धि करके सामाजिक क्षेत्र पर कुल सरकारी व्यय (केंद्र तथा राज्यों को मिलाकर) को जीडीपी के १५% तक नहीं ला सकते? यह बहुत अधिक व्यय नहीं है, ईयू–२७ के स्तर से मात्र आधा है। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र में कुल २८ लाख करोड़ रुपए का व्यय करना होगा। यदि यह मानकर चलें कि इसमें से २५% खर्च केंद्र सरकार करेगी, तो सामाजिक क्षेत्र पर केंद्र सरकार का व्यय वर्तमान २.२ लाख करोड़ रुपए से बढ़कर ७ लाख करोड़ हो जाएगा, यानी मात्र ४.८ लाख करोड़ की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। इसकी पूर्ति करने हेतु केंद्र सरकार कॉर्पोरेट घरानों को दी जाने वाली ऋण माफी में कमी ला सकती है, अथवा अमीरों को मिलने वाली कर छूट में कमी कर सकती है, अथवा कॉर्पोरेट घरानों को अति न्यून रॉयल्टी दरों पर प्रदान किए गए खनिज पट्टों (लीज़) को निरस्त कर सकती है, अथवा . . .

जनकल्याण संबंधी मंत्रालयों हेतु आवंटन

चूंकि अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं, अतः यह तो अपेक्षित ही था कि अरुण जेटली अपने चुनाव-पूर्व बजट में यह राग गाएंगे कि उनकी सरकार लोगों के लिए, किसानों के लिए, निर्धनों के लिए, महिलाओं के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए तथा समाज के अन्य निर्बल वर्गों के लिए कितनी अधिक हमदर्दी रखती है। उन्होंने सिर्फ अतीत के बारे में ही नहीं बल्कि आगामी वर्ष के बारे में भी बहुत से दावे किए कि किस प्रकार समाज के इन वर्गों के कल्याण हेतु उनकी सरकार सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि करते हुए बहुत सी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।

लेकिन जब सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन करने की बारी आई तो गच्चा दे दिया गया। तालिका १० में सामाजिक क्षेत्र संबंधी सभी मंत्रालयों को प्रदत्त व्यय के आंकड़े प्रदान किए गए हैं। (यह ध्यान में रखिए कि यह सरकार के सामाजिक क्षेत्र व्यय की *आर्थिक सर्वेक्षण* में प्रदत्त परिभाषा से अधिक उदार परिभाषा है।)

तालिका १०: समाज कल्याण संबंधी मंत्रालयों पर व्यय[56] *(करोड़ रुपए में)*

	२०१७–१८ सं.अ.	*२०१८–१९*	*वृद्धि*
सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों पर कुल व्यय: (१)	४,६६,२७१	५,०९,०९५	९.१८%
बजट परिव्यय के % के रूप में (१)	२१.०२%	२०.८५%	
जीडीपी के % के रूप में (१)	२.७८%	२.७२%	

तालिका १० से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक कल्याण संबंधी मंत्रालयों हेतु नियत सरकारी व्यय में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं की गई है। २०१७–१८ के संशोधित अनुमान की तुलना में २०१८–१९ में इसमें केवल ९.१८% की वृद्धि होने की संभावना है। मुद्रास्फीति को मद्देनज़र रखते हुए यह वृद्धि अपर्याप्त है। जबकि बजट परिव्यय और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इसमें कमी आई है।

हम यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसी नीतियां पहले ही भारत के गरीब वर्ग को बहुत अधिक नुक्सान पहुंचा चुकी हैं। यदि मोदी सरकार को इस देश के आम लोगों की ज़रा सी भी परवाह होती तो वह सामाजिक क्षेत्र हेतु आवंटन में अवश्य वृद्धि करती। मोदी सरकार का जनविरोधी चरित्र इस तथ्य से भी उद्घाटित हो जाता है कि केंद्र सरकार के समाज कल्याण संबंधी सभी मंत्रालयों पर किया गया व्यय (उपरोक्त उदार परिभाषा के आधार पर भी), जो कि ५ लाख करोड़ रुपए है, धनाढ्य वर्ग को प्रदान की गई कुल कर छूट (५.५ लाख करोड़ रुपए) से भी कम है।

सामाजिक क्षेत्र में व्यय द्वारा मांग को बढ़ावा देना

आइए, अब एक समाजवादी दृष्टिकोण से बजट के तथ्य-आधारित आलोचनात्मक मूल्यांकन की बजाए पूंजीवादी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस बजट का मूल्यांकन करें। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन द्वारा प्रस्तुत *आर्थिक सर्वेक्षण २०१७–१८* में जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल निवेश में आई गंभीर गिरावट पर विस्तार से चर्चा की गई है। *सर्वेक्षण* कहता है: "जीडीपी के अनुपात में सकल स्थिर पूंजी निर्माण २००३ में २६.५% था, २००७ में बढ़कर ३५.६% हुआ, लेकिन २०१७ में गिरकर २६.४% पर आ गया।" *सर्वेक्षण* स्वीकार करता है कि निवेश दरों में इतना अधिक उतार-चढ़ाव "भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं घटित हुआ है", और जबकि "पिछले १५ वर्ष सम्पूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ही एक विशिष्ट दौर रहा है, फिर भी इस दौर में भारत के अलावा निवेश में इस स्तर का चढ़ाव और गिरावट दुनिया के अन्य किसी देश में घटित नहीं हुई है।"[57] *सर्वेक्षण* में बे-लागलपेट कहा गया है: "भारत की निवेश गिरावट का दिशा-परिवर्तन करना मुश्किल लगता है . . . मंदी जितनी गहराएगी, पुनरुत्थान की प्रक्रिया भी उतनी ही मंद और उथली होगी।"[58] और जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसी तबाहकुन नीतियों के कारण २०१६ की दूसरी छमाही के बाद से आर्थिक मंदी गंभीरतर होती गई है। यह अलग बात है कि अपने बजट भाषण में वित्त

मंत्री ने इस संकट से इन्कार किया है और दावा किया है कि "भारत विश्व की तीव्रतम वृद्धिमान अर्थव्यवस्थाओं में है।"

इस आर्थिक मंदी से निपटने का एक मार्ग है मांग को बढ़ावा देना। और इसका एक तरीका है कि सामाजिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि करना। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में किए गए सरकारी व्यय के सकारात्मक गुणक प्रभाव (multiplier effects) होते हैं।[59] [राजकोषीय गुणक सरकारी व्यय का आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव का अनुमान प्रदान करता है। १ से अधिक का गुणक (अर्थात प्रति १ रुपए के निवेश पर १ रुपए से अधिक का प्रतिलाभ) सकारात्मक संवृद्धि प्रोत्साहन का द्योतक है, जबकि १ से कम का गुणक व्यय के बदले हुई हानि को दर्शाता है।]

लेकिन वित्त मंत्री ने बजट में ऐसा कोई काम नहीं किया है। वे अपने बजट भाषण में कहते हैं कि सरकार "विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन तथा वित्तीय (राजकोषीय) घाटे के नियंत्रण को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करती है।" आम भाषा में कहें तो इसका अर्थ यह है कि सरकार को अपने व्यय में कटौती करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन्होंने बजट परिव्यय में सरकार के सामाजिक क्षेत्र संबंधी व्यय में कटौती कर दी है।

जेटली को 'कर प्रोत्साहन' अथवा 'निवेश सब्सिडी' अथवा बैंक ऋण को बट्टे खाते में डालने आदि-आदि के द्वारा धनाढ्य वर्ग को लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने में कोई हिचक नहीं है, यह सब्सिडी देते हुए उन्हें राजकोषीय घाटे की समस्या नहीं सताती। लेकिन जब गरीबों के कल्याण पर किए जाने वाले व्यय को बढ़ाने की बारी आती है तो वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने का बहाना लेकर वे इसमें वृद्धि करने से इन्कार कर देते हैं।

नवउदारवाद का यही अर्थ है—कि मात्र विशाल विदेशी और भारतीय कॉर्पोरेट घरानों के लाभार्जन हेतु अर्थव्यवस्था का संचालन करना, निर्धन कल्याण हेतु बनाई गई योजनाओं में बेशर्मीपूर्वक कटौती करना और इससे हुई बचत को कॉर्पोरेट घरानों की तिजोरियों में ठूंस देना। १९९१ में वैश्वीकरण की शुरुआत के बाद से जो भी सरकार केंद्र में सत्तासीन हुई है उसने पूरी शिद्दत के साथ इन्हीं नीतियों को लागू किया है; मोदी सरकार और भी अधिक बेशर्मी के साथ इन नीतियों को लागू करने में लगी हुई है।

यही भाजपा–आरएसएस का राष्ट्रवाद है। वह विश्वविद्यालयों में बड़े-बड़े डंडे-झंडे लहराने और सिनेमा हॉल में लोगों को राष्ट्रगान के लिए खड़े होने पर मज़बूर करने तक सीमित है, जबकि इनकी हक़ीकत यह है कि ये आम आदमी के साथ छलावा करते हुए स्वयं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और महाकाय विदेशी निगमों के सामने

साष्टांग दण्डवत प्रणाम कर रहे हैं।

आइए अब कुछेक महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों हेतु किए गए बजट आवंटन का जाएज़ा लेते हैं।

शिक्षा हेतु आवंटन

अंधकार युग की वापसी

अपने बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य, समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए बिना (तथा आगे चलकर इसका विस्तार करते हुए माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान किए बिना) दुनिया में कोई भी राष्ट्र विकसित नहीं हो पाया है। (और चूंकि निजी क्षेत्र केवल लाभार्जन हेतु ही निवेश करता है, अतः दुनिया में प्रत्येक देश ने, यहां तक कि पश्चिम के कट्टर पूंजीवादी देशों ने भी, सरकार द्वारा खर्च के माध्यम से ही उपरोक्त लक्ष्य को हासिल किया है।) बदकिस्मती से आज़ादी के सात दशक बाद भी भारत बच्चों की बहुसंख्या को शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाया है।

भारतीय योजना आयोग ने यह स्वीकार किया है ४२.२% बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं।[60] और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनमें से अधिकांश के लिए स्कूलों की हालत अत्यंत दयनीय है:

- देश के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में एक ही शिक्षक एक ही कमरे में दो या तीन कक्षाओं को एक साथ पढ़ा रहा है।[61]
- लगभग एक-तिहाई स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और ४०% स्कूलों में बिजली उपलब्ध नहीं है।[62]
- देश भर में स्कूलों में शिक्षकों के लगभग १० लाख पद रिक्त पड़े हैं (९ लाख पद प्राथमिक विद्यालयों में तथा १ लाख पद माध्यमिक विद्यालयों में), यह देश के कुल शिक्षक पदों का लगभग २०% है।[63]

ऐसी विकट परिस्थितियों में यह कोई हैरानी की बात नहीं कि एक सर्वेक्षण ने पाया कि पांचवीं कक्षा के ४८% बच्चे दूसरी कक्षा के स्तर की किताब पढ़ने में असमर्थ हैं, और आठवीं कक्षा के ४३% बच्चों को सरल भाग भी करना नहीं आता है।[64]

बच्चों के साथ छलावा

ऐसी बुरी हालत के बावजूद सरकार विश्व बैंक की शर्तों की पूर्ति करने के लिए

शिक्षा के निजीकरण पर ज़ोर दे रही है। रणनीति बिलकुल साफ-सरल है: स्कूली शिक्षा के लिए सरकारी इमदाद को कम करने तथा शिक्षकों के पदों को रिक्त बनाए रखने के माध्यम से सरकारी स्कूल तंत्र की गुणवत्ता को नष्ट करना; ऐसे में बच्चे स्वतः ही स्कूल छोड़कर जाने लगेंगे, और जिनके पास पैसे हैं वे अपने बच्चों का दाखिला निजी विद्यालयों में करवा देंगे। मोदी सरकार और अधिक गति के साथ शिक्षा का निजीकरण कर रही है:

तालिका ११: शिक्षा हेतु बजट आवंटन, २०१४ से २०१८ *(करोड़ रुपए)*

	२०१४–१५ वा. (१)	*२०१७–१८ सं.अ. (२)*	*२०१८–१९ (३)*	*(२) से (३) की वृद्धि, %*	*(१) से (३) की वृद्धि, %, सीएजीआर*
विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	५५,११५	४७,००६	५०,०००	६.३७%	–३३%
उच्च शिक्षा विभाग	२७,६५६	३४,८६२	३५,०१०	०.४२%	–७.०%
मानव संसाधन विकास मंत्रालय: कुल	८२,७७१	८१,८६८	८५,०१०	३.८४%	–२४.५%
जीडीपी के % के रूप में शिक्षा बजट		०.४९%	०.४५%		
कल बजट परिव्यय के % के रूप में शिक्षा बजट		३.६९%	३.४८%		

इस वर्ष के स्कूली शिक्षा के बजट में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में मात्र ६.४% वृद्धि की गई है, इसका अर्थ यह है कि वास्तव में इसमें कटौती हुई है। जेटली के पांचों बजटों में विद्यालयी शिक्षा के बजट में इस कदर कटौती की गई है कि वास्तविक अर्थों में २०१८–१९ का बजट २०१४–१५ (ब.अ.) के बजट से लगभग ३३% कम है (तालिका ११)। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब तक लगभग २ लाख सरकारी स्कूलों पर ताला लग चुका है।[65]

इस कटौती पर पर्दा डालने के लिए अरुण जेटली अपनी लफ्फाज़ी-लीपापोती की पुरानी रणनीति का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण में घोषणा की: "तकनीक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध होगी।

हमारा प्रस्ताव है कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल गहनता को बढ़ावा दिया जाए तथा शनैः-शनैः 'ब्लैक बोर्ड' से 'डिजिटल बोर्ड' की ओर गमन किया जाए।" लेकिन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में ई-लर्निंग हेतु ५१८ करोड़ रुपए की जो छोटी-सी धनराशि नियत की गई थी, इस वर्ष उसमें भी कटौती करके ४५६ करोड़ कर दिया गया है। वैसे भी, बहुत कम ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो इस योजना से लाभान्वित होने की स्थिति में हैं। सरकारी डाटा के अनुसार २०१५–१६ में केवल ६२% स्कूलों के पास बिजली का कनेक्शन था तथा मात्र २४% स्कूलों के पास चालू अवस्था में कंप्यूटर थे, और केवल ९% स्कूलों के पास ऊपरोक्त दोनों सहूलियतें थीं।[66]

उच्च शिक्षा का कारोबार

उच्च शिक्षा की बात करें तो भारत में कॉलेजों में छात्रों की संख्या—इसे सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio अथवा GER) (१७–२३ / १८–२४ आयु वर्ग की कुल युवा आबादी की तुलना में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत) के द्वारा परिभाषित किया जाता है—विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है; भारत का GER केवल २० है जबकि विकसित देशों में यह ६० से ऊपर है, कुछेक देशों में तो यह ७० से भी अधिक है।[67] इसकी एक बड़ी वजह उच्च शिक्षा का बढ़ता हुआ निजीकरण और वाणिज्यीकरण है—वर्तमान समय में उच्च शिक्षा में आधे से अधिक नामांकन निजी शैक्षणिक संस्थानों में हैं।[68] चूंकि ये संस्थान लाभार्जन के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं, अतः अधिकांश विद्यार्थी इनकी ऊंची फीस भरने में असमर्थ हैं। उधर, चूंकि सरकार उच्च शिक्षा पर अपने व्यय में कटौती करती जा रही है, इसके चलते सरकारी कॉलेजों के पास निधि की कमी बढ़ती जा रही है और इसकी भरपाई करने के लिए वे अलग-अलग तरह के बहाने बनाकर फीसवृद्धि करते जा रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि निर्धन परिवारों से आने वाले विद्यार्थी सरकारी कॉलेजों की भी फीस भरने में असमर्थ हैं।

मोदी सरकार के अंतर्गत इस प्रवृत्ति ने गति पकड़ी है। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में इस वर्ष उच्च शिक्षा के बजट में केवल ०.४२% की मामूली सी वृद्धि की गई है, इसका अर्थ यह है कि वास्तव में इसमें भारी कटौती हुई है। जेटली के २०१४–१५ के बजट की तुलना में इस वर्ष का आवंटन ७% कम है (तालिका ११)। भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा की नियामक संस्था, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, को पिछले वर्ष की ही तरह ४८५ करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जो कि वास्तविक अर्थों में कटौती का सूचक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च

शिक्षा प्रदान करवाने वाले संस्थानों का नियमन करता है और लगभग १०,००० से अधिक संस्थानों को अनुदान देता है। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान—४,९२३ करोड़ रुपए—की तुलना में इस वर्ष इसे मात्र ४,७२३ करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। २०१५–१६ (सं.अ.) में इसे ९,३१५ करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे; यानी कि नाममात्र अर्थों में भी पिछले तीन वर्षों में इसका आवंटन घटकर आधा रह गया है।

केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा हेतु आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा (एक-तिहाई से भी अधिक) तथाकथित 'उत्कृष्ट सस्थानों' जैसे कि आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष इन संस्थानों के बजट में भी कटौती की गई है; इसका अर्थ यह है कि पहले से ही महंगे हो चुके इन सस्थानों की फीस और अधिक बढाई जाएगी।

इस वर्ष वित्त मंत्री ने एक नई पहल की घोषणा की: 'रिवाइटलाइजिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन' (RISE); इसके माध्यम से "प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शोध एवं इससे संबंधित अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाएगा।" उन्होंने इसके लिए अगले चार वर्षों के दौरान १ लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। इसमें पेंच यह है कि यह निवेश बजट में से नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों को सरकार द्वारा पिछले वर्ष स्थापित की गई एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, उच्च शिक्षा वित्तपोषण प्राधिकरण (Higher Education Financing Authority या HEFA), द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा, यह कंपनी इस उद्देश्य हेतु बाज़ार से पैसा उधार लेगी। शैक्षणिक संस्थान को मूल की अदायगी करनी होगी, सूद की अदायगी केंद्र सरकार करेगी। बजट में केवल सूद हेतु आवंटन किया गया है; इस उद्देश्य हेतु २०१७–१८ में HEFA को २५० करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था जिसे २०१८–१९ में बढ़ाकर २,७५० करोड़ कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अपना उन्नयन करने के लिए कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को HEFA से ऋण लेना होगा और फिर इस ऋण की अदायगी के लिए उन्हें फीसवृद्धि करनी होगी। इससे उच्च शिक्षा और अधिक महंगी हो जाएगी।

अपने २०१४ के चुनाव अभियान के दौरान मोदी और भाजपा ने शिक्षा पर व्यय को बढ़ाकर जीडीपी का ६% (केंद्र तथा राज्य मिलाकर) तक करने का वादा किया था। *आर्थिक सर्वेक्षण २०१७–१८* यह स्वीकार करता है कि मोदी सरकार के अंतर्गत यह व्यय असल में कम हुआ है, २०१२–१३ में यह जीडीपी का ३.१% था, २०१७–१८ (ब.अ.) में यह घटकर जीडीपी का मात्र २.७% रह गया है।[69] जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र के शैक्षणिक बजट में इस वर्ष और अधिक कटौती की गई है, अतः २०१८–

१९ में शिक्षा क्षेत्र पर केंद्र तथा राज्यों का कुल व्यय और अधिक घटने वाला है।

यदि मोदी अपने वादों को पूरा करने के बारे में गंभीर हैं, तो शिक्षा पर जीडीपी का ६% खर्च करने का अर्थ है कि वर्ष २०१८–१९ में सरकार को (केंद्र तथा राज्य मिलाकर) शिक्षा पर कुल ११.२ लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा। देश के कुल शैक्षणिक व्यय को बढ़ावा देने के लिए यदि केंद्र सरकार ने इसका २५% हिस्सा भी व्यय किया (२०१७–१८ ब.अ. में केंद्र ने १७.४% व्यय किया था), तो जेटली को शिक्षा के लिए २.८ लाख करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहिए था। यह २०१८–१९ के बजट में किए गए प्रस्तावित आवंटन से २ लाख करोड़ रुपए अधिक है। जो सरकार इससे कहीं अधिक राशि हर वर्ष धनाढ्य वर्ग को सब्सिडी के रूप में बांट देती है, उस सरकार के लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं है।

कॉर्पोरेट मशीन के पुर्ज़े

नवउदारवादी मॉडल प्रत्येक चीज़ को, जिसमें शिक्षा भी शामिल है, अधिकाधिक लाभार्जन के दृष्टिकोण से आंकता है। उसमें शिक्षा को मानव विकास के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, यह नहीं समझा जाता कि शिक्षा मनुष्य की अन्तर्निहित संभावनाओं को बंधनमुक्त करने तथा उसके जीवन को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायक है। ये सब खामख्वाह की बातें हैं। उसके अनुसार युवाओं को बहुराष्ट्रीय निगमों में असेंबली लाइन वर्कर के तौर पर रोज़गार पाने के योग्य बनाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए युवाओं का कौशल विकास किया जाना चाहिए ताकि वे कॉर्पोरेट मशीन के कलपुर्ज़े बनने के लायक हो सकें।

यह शिक्षा-दर्शन भाजपा–आरएसएस के फासीवादी दर्शन के साथ पूर्णतः संगति रखता है, जो हमारे युवाओं को द्वेषपूर्ण हिंदुत्व की सेवा में तत्पर बुद्धिहीन मशीनों में परिवर्तित कर देना चाहता है।

अतः, एक तरफ जहां मोदी–जेटली हमारे शैक्षणिक संस्थानों के वित्तपोषण की धारा काटकर धीरे-धीरे उनका गला घोंटने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कौशल विकास के लिए निधि में बहुत बड़ी वृद्धि की है। भाजपा सरकार ने २०१४ में सत्ता में आते ही कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इस मंत्रालय का मुख्य कार्यक्रम है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके आवंटन में तिगुने से भी अधिक वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के बजट अंदाज की तुलना में इस वर्ष इस कार्यक्रम हेतु १२% की वृद्धि की गई है (तालिका १२)।

तालिका १२: कौशल विकास हेतु बजट आवंटन *(करोड़ रुपए)*

	२०१५–१६ वा.	२०१७–१८ ब.अ.	२०१८–१९
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	९९१	२,९२४	३,२७३

स्वास्थ्य हेतु आवंटन

बजट की सबसे बड़ी चकमाबाज़ी

जेटली द्वारा "विश्व का विशालतम स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" की घोषणा इस बजट का एक अन्य बड़ा आकर्षण था। यह योजना अस्पताल में भरती होने की स्थिति में (यानी कि इसमें आउट-पेशंट देखभाल शामिल नहीं है) देश के १० करोड़ निर्धन परिवारों (यानी कि लगभग ५० करोड़ लोगों) को प्रति परिवार ५ लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाएगी।

यह भारतीय मीडिया की निस्सारता का ही प्रमाण है कि प्रत्येक टीवी चैनल ने इस घोषणा को ज़ोर-शोर से पेश किया और लगभग प्रत्येक समाचारपत्र ने बड़े-बड़े हर्फ़ों में इसे पहले सफ़्हे पर छापा। हकीकत यह है कि यह घोषणा बजट की बहुत बड़ी चकमाबाज़ी थी।

यदि यह मान भी लें कि वित्त मंत्री निर्धन जन को अस्पताल भर्ती के लिए चिकित्सा बीमा प्रदान करवाने को लेकर गंभीर हैं, तो भी इसके लिए बजट में पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है। इस योजना के लिए उन्होंने केवल २,००० करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सरकारी अधिकारी भी यह स्वीकार करते हैं कि इस योजना के लिए कम-से-कम १०,००० करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, अन्य विशेषज्ञ इस राशि को और भी अधिक आंकते हैं।[70]

वित्त मंत्री ने इस प्रकार की घोषणा कोई पहली बार नहीं की है। २०१६ के बजट भाषण में उन्होंने प्रत्येक परिवार को १ लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाने वाली एक "नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" की घोषणा की थी। जेटली के बजट भाषण के छह महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी १५ अगस्त २०१६ को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस वादे को दोहराया। लेकिन इसके डेढ़ साल बाद भी, यानी कि २०१७ के अंत तक, केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं दी थी, परिणामतः यह योजना कभी शुरू ही नहीं हो पाई।[71] पहले से चल रही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) चालू रही। यह योजना अस्पताल भर्ती की स्थिति में प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिवर्ष ३०,००० रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है।

यह स्पष्ट नहीं है कि २०१५–१६ में मोदी सरकार ने RSBY पर कोई व्यय किया अथवा नहीं। २०१५–१६ (सं.अ.) ५९५ करोड़ रुपए का व्यय दर्शाता है, लेकिन २०१७–१८ के बजट दस्तावेज़ में इस योजना का कोई ज़िक्र नहीं मिलता (जहां २०१५–१६ के वास्तविक व्यय का वर्णन किया गया है)। २०१६–१७ के बजट में RSBY योजना के नवीन अवतार के लिए आवंटन में वृद्धि करके इसे १,५०० करोड़ रुपए किया गया, लेकिन चूंकि यह नवीन योजना सुप्तावस्था में पड़ी रही, अतः इस राशि में से केवल ४६६ करोड़ रुपए व्यय किए गए (२०१८ के बजट दस्तावेज़ में दर्शाया गया वास्तविक व्यय)। २०१७–१८ के बजट में इसके लिए १,००० करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन केवल ४७१ करोड़ रुपए ही खर्च किए गए (२०१७–१८ सं.अ.)। अब देखना यह है कि RSBY के नवीनतम अवतार के लिए इस वर्ष आवंटित २,००० करोड़ रुपए में से सरकार कितनी राशि खर्च करती है।

RSBY से कितने निर्धन परिवार लाभान्वित हुए हैं? सरकार RSBY का डाटा प्रस्तुत करने के प्रति अनिच्छुक है, अतः इसका व्यापक आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन २०१४ के NSS डाटा के आधार पर किए गए RSBY के स्वतंत्र आकलन यह दर्शाते हैं कि अस्पताल में भर्ती ग्रामीण लोगों में से केवल १.२% को और नगरीय आबादी में से ६.२% को प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई, वह भी आंशिक। अध्ययनों से यह भी सामने आया है कि RSBY बीमा निधि प्राप्त करने के बाद भी निजी अस्पताल अक्सर लोगों को अतिरिक्त पैसा अदा करने के लिए मज़बूर करते हैं।[72] अतः RSBY के नवीनतम रूप से कितने लोग लाभान्वित होंगे, यह कहना मुश्किल है।

इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्धनों के लिए कोई सार्वभौम स्वास्थ्य देखभाल योजना नहीं है। ऐसा इसलिए कि इसमें आउट-पेशंट खर्चों को शामिल नहीं किया गया है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य संबंधी कुल व्यय का ६३.५% अंश है। लोगों द्वारा अपनी जेब से किए गए स्वास्थ्य संबंधी खर्च के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है। इसके कारण हर साल बहुत बड़ी संख्या में लोग कर्ज़ और दरिद्रता के भंवर में धंस जाते हैं।[73]

निजी अस्पताल और बीमा कंपनियां सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से सर्वाधिक लाभान्वित होती हैं। दुनिया भर में यही अनुभव है। सरकारी अस्पतालों का सुधार करके ही आम लोगों को भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को अपने स्वास्थ्य बजट में वृद्धि करनी होगी।

स्वास्थ्य हेतु घटता आवंटन

विश्व स्वास्थ्य संघठन (WHO) ने यह अनुशंसा की है कि प्रत्येक देश को अपनी जीडीपी का कम-से-कम ५% हिस्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना चाहिए; इसके लिए भारत बमुश्किल १% का आवंटन करता है। जन स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय के लिहाज़ से भारत १७५ देशों में १७१वें स्थान पर है।[74] राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) २०१७ यह वादा करती है कि २०२५ तक सरकार के स्वास्थ्य व्यय (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) को वर्तमान जीडीपी के १.१५% से बढ़ाकर २.५% किया जाएगा।[75] इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय में प्रति वर्ष कम-से-कम २०% की वृद्धि करनी होगी।[76] लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आवंटन में मामूली सी वृद्धि की गई है, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (५३,२९४ करोड़ रुपए) से बढ़ाकर इस वर्ष इसे ५४,६०० करोड़ किया गया है, यानी कि मात्र २.४५% की वृद्धि की गई है; वास्तविक अर्थों में यह कटौती को दर्शाता है (तालिका १३)। यदि RSBY बीमा योजना के बजट को इसमें से हटा दें, तो असल में इस मंत्रालय के आवंटन में कमी आई है।

तालिका १३: स्वास्थ्य हेतु बजट आवंटन *(करोड़ रुपए)*

	२०१७–१८ सं.अ.	*२०१८–१९ ब.अ.*
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एड्स नियंत्रण विभाग समेत)	५१,५५१	५२,८००
इसके अंतर्गत:		
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	३,१७५	३,८२५
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	२५,४५९	२४,२८०
राष्ट्रीय नगरीय स्वास्थ्य मिशन	६५२	८७५
स्वास्थ्य शोध विभाग	१,७४३	१,८००
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: कुल	५३,२९४	५४,६००
बजट परिव्यय के % के रूप में स्वास्थ्य बजट	२.४०%	२.२४%
जीडीपी के % के रूप में स्वास्थ्य बजट	०.३२%	०.२९%

पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में इस वर्ष बजट परिव्यय तथा जीडीपी दोनों के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आवंटन में कमी आई है।

तृतीयक देखभाल को प्राथमिक देखभाल पर वरीयता देना

एक तो आवंटन कम है, ऊपर से वित्त मंत्री का पूरा ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि व्यय में प्राथमिक देखभाल की बजाए तृतीयक देखभाल को वरीयता दी जाए। एम्स जैसे संस्थानों के निर्माण और सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करने (इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसा भ्रमपूर्ण नाम दिया गया है) हेतु आवंटन में सरकार ने ६५० करोड़ रुपए की वृद्धि की है (२०१७–१८ सं.अ. में ३,१७५ करोड़ रुपए से बढ़ाकर २०१८–१९ में इसे ३,८२५ करोड़ किया गया है)। दूसरी तरफ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के बजट में १,२०० करोड़ रुपए की कटौती की गई है। हालांकि NRHM के नगरीय स्वरूप, राष्ट्रीय नगरीय स्वास्थ्य मिशन (NUHM), के बजट में ८७५ करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, लेकिन यह आवश्यक निधि का केवल एक-चौथाई है (तालिका १३)। कस्बों और शहरों में नगरीय निर्धन जन की स्वास्थ्य सेवा संबंधी चुनौतियों का समाधान करने हेतु तैयार की गई इस योजना का केंद्रीय मंत्रीमंडल ने २०१३ में अनुमोदन किया था और उस समय यह अनुमान लगाया था कि इस योजना हेतु केंद्र सरकार को प्रति वर्ष ३,४०० करोड़ रुपए देना होगा।[77]

हम यह नहीं कह रहे हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले तृतीयक देखभाल प्रदान करने वाले अस्पतालों की आवश्यकता नहीं है—हमारा मुद्दा यह है कि इनका विकास प्राथमिक क्षेत्र की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) की हालत सुधार दी जाए तो ज़िला अस्पतालों एवं अत्याधुनिक अस्पतालों पर से भीड़ का बोझ कम हो सकता है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगीं तो अधिकांश बीमारियों का निदान इन्हीं के स्तर पर किया जा सकता है; इससे स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यकुशलता सुधरेगी, उनकी लागत में कमी आएगी तथा आम जन के स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा। अतः, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सुधार को वरीयता दी जानी चाहिए, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष के बजट में भी इसको पूर्णतः नज़रंदाज़ कर दिया गया है।

NRHM के बजट में कटौती का अर्थ यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर प्राथमिक देखभाल सुविधाओं, में कमी की भरपाई होने की संभावना कम ही है—ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी २०१६ के अनुसार स्वास्थ्य उप-केंद्रों की २०% से कमी है जबकि PHCs तथा CHCs की क्रमशः २२% एवं ३०% से कमी है।[78]

लेकिन जेटली द्वारा अपने बजट भाषण में की गई इस घोषणा का क्या कि सभी १.५ लाख स्वास्थ्य उप-केंद्रों को 'स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों' में परिवर्तित करने के लिए १,२०० करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? असल में यह केवल चतुर

आंकड़ेबाज़ी है। यह आवंटन संभवतः 'स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण' शीर्षक के अंतर्गत किया गया है, इसके बजट में १,१७७ करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है (तालिका १४)। इससे प्रत्येक उप-केंद्र को ८०,००० रुपया प्रदान किया जा सकता है, जो कि पूर्णतः अपर्याप्त है। लगभग २०% उप-केंद्रों में नियमित जलापूर्ति तक नहीं है और २३% उप-केंद्रों में बिजली उपलब्ध नहीं है। ६,००० से अधिक उप-केंद्रों में एक भी ऑक्ज़िलियरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) / स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला) तथा लगभग १ लाख उप-केंद्रों में पुरुष स्वास्थ्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। ४,२४३ केंद्रों में उपरोक्त दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं।[79] किसी उप-केंद्र को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाने हेतु कम-से-कम ये बुनियादी सहूलियतें एवं मानव संसाधन उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इतने कम आवंटन के आधार पर यह कैसे किया जा सकता है? सहायक अवसंरचना के रखरखाव हेतु भी आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ये सब तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गईं 'स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों' की बात असल में चूं-चूं का मुरब्बा है।

तालिका १४: ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु बजट आवंटन *(करोड़ रुपए)*

	२०१७–१८ सं.अ.	*२०१८–१९ ब.अ.*
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	२५,४५९	२४,२८०
इसके अंतर्गत:		
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल	७,५४५	५,२५४
स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण	८,३९६	९,५७३
संक्रामक रोग देखभाल	२,६४८	१,९२८
अवसंरचना रखरखाव	५,५१८	५,६९३

इसके साथ-साथ वित्त मंत्री ने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के बजट में २,२९१ करोड़ रुपए (अथवा ३२%) तथा संक्रामक रोग देखभाल के बजट में ७२० करोड़ रुपए (अथवा २८%) की कटौती की है—यही वजह है कि स्वास्थ्य उप-केंद्रों हेतु आवंटन में वृद्धि किए जाने के बावजूद NRHM के कुल बजट में गिरावट आई है।

क्या जेटली स्वास्थ्य बजट में वृद्धि कर सकते हैं?

NHP में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का १% अंश व्यय करने का वादा किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए २०१८–१९ में जेटली को १.८ लाख करोड़ रुपए का आवंटन करने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने इसका केवल २९%

आवंटित किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास धन की कमी है, यह वरीयताओं का मामला है—क्या निगमों की मुनाफ़ाखोरी को वरीयता दी जाए, अथवा लोगों हेतु आवश्यक स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने को?

मीडिया ने इस बजट को गलत समझा है। यह बजट विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे देश की कहानी कह रहा है जो बीमारियों से होने वाली मौतों में दुनिया का पहले नंबर का देश है, जो माता व शिशु मृत्यु के मामले में दुनिया में अग्रणी है, लेकिन वह इस स्वास्थ्य 'संकट' को पूर्णतः नज़रंदाज़ कर रहा है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के मामले में दुनिया में सबसे कम निवेश करने वाले देशों में शामिल है—जबकि साथ ही यह देश अति धनाढ्य वर्ग को कई लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

पोषण संबंधी योजनाओं हेतु आवंटन

भले ही भारत दुनिया की तीव्रतम गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन वह भुखमरी के मामले में भी दुनिया के अग्रणी देशों में है। वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index या GHI) एक बहुआयामी सांख्यिकीय उपकरण है जिसकी मदद से वैश्विक स्तर पर तथा भिन्न-भिन्न देशों एवं क्षेत्रों में भुखमरी का मापन किया जाता है। GHI की २०१७ में की गई गणना में ११९ देशों में से भारत का १००वां स्थान था। GHI की गणना वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय भोजन नीति शोध संस्थान (IFPRI) द्वारा किया जाता है।[80]

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–४ (२०१५–१६) ने हाल ही में भारत में व्याप्त भुखमरी के स्तर के बारे में अपना डाटा जारी किया है, वह भी भारत में व्याप्त भुखमरी की इस शर्मनाक स्थिति का अनुमोदन करता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार:[81]

- पांच वर्ष से कम उम्र के ३८.४% बच्चे अविकसित (stunted) हैं (उम्र के अनुपात में कम लंबाई, यह स्थाई कुपोषण का लक्षण है)।
- ३५.७% न्यून-भार (underweight) से ग्रसित हैं (उम्र के अनुपात में कम वज़न, यह स्थाई एवं विकट कुपोषण का लक्षण है)।
- २१% क्षय (wasting) से ग्रसित हैं (लंबाई की तुलना में न्यून वज़न, यह विकट कुपोषण को दर्शाता है)।

इस सर्वेक्षण में यह भी उद्घाटित हुआ है कि ६–५९ माह के ५८.४% बच्चे तथा १५–४९ वर्ष की ५०% गर्भवती स्त्रियां एनीमिया (आयरन की कमी) से ग्रसित हैं।

खाद्य सब्सिडी

देश में भुखमरी और कुपोषण संकट का समाधान करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण योजना खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System या PDS) के माध्यम से रियायती कीमतों पर निर्धनों को भोजन एवं भोजनेतर सामग्री उपलब्ध करवाती है। यह कार्यक्रम संसद द्वारा २०१३ में पारित किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act या NFSA) के अंतर्गत चलाया जाता है।

हम एक अन्य लेख में यह चर्चा कर चुके हैं कि NFSA अधिनियम पर्याप्त नहीं है। एक उभरती हुई महाशक्ति का दावा करने वाले देश के लिए यह एक शर्मनाक अधिनियम है: (i) हर व्यक्ति को प्रति माह केवल ५ किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है; (ii) यह केवल अनाज उपलब्ध करवाता है, कुपोषण से लड़ने हेतु आवश्यक दाल तथा खाद्य तेल प्रदान नहीं किया जाता है—पिछले कुछ वर्षों के दौरान इनकी कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है; (iii) यह सीमित सहायता भी सभी निर्धन परिवारों को प्रदान नहीं की गई है, केवल ६७% परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ प्रदान किया जाता है।[82]

देश में पोषण संकट का समाधान करने के लिए—जो कि वास्तव में एक राष्ट्रीय आपातकाल बन चुका है—सरकार को PDS को सार्वभौमिक करने तथा इसमें अन्य आवश्यक खाद्य सामग्रियों का समावेशन करने की आवश्यकता है (इस लेख में इस विषय पर विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती)।[83] भाजपा जब विपक्ष में थी तो २०१४ लोकसभा चुनावों के चुनावी अभियान में इसने NFSA योजना का उपहास किया था और 'सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा' का वादा किया था, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग तक बताया था। भाजपा नेताओं ने इस अधिनियम का विस्तार करते हुए इसमें अन्य आवश्यक खाद्य सामग्रियों को सम्मिलित किए जाने की मांग भी की थी।[84] लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने इस विषय पर चुप्पी साध ली है। *जनता* साप्ताहिक के एक अंक में छपे एक लेख में हमने यह दर्शाया है कि PDS को सार्वभौमिक बनाने और प्रत्येक परिवार को प्रति माह ३५ किलो गेहूं / चावल तथा ५ किलो मोटा अनाज (जवार, बाजरा, इ.) प्रदान करवाने हेतु सरकारी खजाने पर अतिरिक्त ८५,००० करोड़ रुपए से अधिक का बोझ नहीं पड़ेगा (२०१७–१८ हेतु की गई गणना)।[85] इसके साथ, यदि सरकार PDS के माध्यम से सभी परिवारों को २ किलो दाल तथा १ किलो खाद्य तेल उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लेती है, और यदि इन दोनों सामग्रियों हेतु प्रति किलो ५० रुपए सब्सिडी भी मानकर चलें, तो भी सरकारी

खजाने पर अधिकतम ४०,००० करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि PDS को सार्वभौमिक करने और उसका विस्तार करने के लिए खाद्य सब्सिडी के खर्चे में १.२५ लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी। जो सरकार अति धनाढ्य वर्ग को प्रति वर्ष ५.५ लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान कर देती है, उसके लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं है।

तालिका १५: खाद्य सब्सिडी हेतु बजट आवंटन, २०१४ से २०१८ *(करोड़ रुपए)*

	२०१४–१५ वा.	*२०१७–१८ ब.अ.*	*२०१८–१९ ब.अ.*
खाद्य सब्सिडी	११७,६७१	१४५,३३९	१६९,३२३
बजट परिव्यय के % के रूप में खाद्य सब्सिडी	७.०७	६.७७	६.९३
जीडीपी के % के रूप में खाद्य सब्सिडी	०.९४	०.८७	०.९०

इस वर्ष जेटली ने पिछले वर्ष के बजट आवंटन की तुलना में खाद्य सब्सिडी परिव्यय में १६.५% की वृद्धि की है। इसका अर्थ यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में सरकार अपनी अनाज की खरीद में कोई महत्त्वपूर्ण विस्तार नहीं करने जा रही है। जैसा कि तालिका १५ में देख सकते हैं, बजट परिव्यय तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इस वर्ष की खाद्य सब्सिडी मोदी सरकार के प्रथम वर्ष, २०१४–१५, के परिव्यय से भी कम है।

पोषण संबंधी अन्य योजनाएं

खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम के अतिरिक्त केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सी 'पोषण संबंधी' योजनाएं भी चलाती है। इनमें से अधिकांश को समन्वित बाल विकास सेवाओं (Integrated Child Development Services या ICDS) के अंतर्गत संचालित किया जाता है, इनमें आंगनवाड़ी सेवाएं, मातृत्व लाभ कार्यक्रम तथा कुछ अन्य छोटी-मोटी सेवाएं शामिल हैं। मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना एक अन्य महत्त्वपूर्ण पोषण आधारित योजना है, लेकिन इसका संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

इस वर्ष इन योजनाओं हेतु पिछले वर्ष की तुलना में ९.२% अधिक आवंटन किया गया है। लेकिन यदि जेटली द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी पांचों बजटों पर दृष्टि डालें, तो यह स्पष्ट होता है कि २०१४–१५ के वास्तविक व्यय की तुलना में पोषण

संबंधी सभी योजनाओं के आवंटन में मात्र ३.९९% (सीएजीआर) की वृद्धि हुई है (तालिका १६); यह वास्तविक मूल्यों में गिरावट का सूचक है।

तालिका १६: पोषण संबंधी योजनाओं हेतु बजट आवंटन, २०१४ से २०१८

(करोड़ रुपए)

योजनाएं	*२०१४–१५ वा.*	*२०१७–१८ ब.अ.*	*२०१७–१८ सं.अ.*	*२०१८–१९*
मुख्य ICDS / आंगनवाड़ी सेवाएं	१६,६६४	१५,२४५	१५,२४५	१६,३३५
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना / MBP	३४३	२,७००	२,५९५	२,४००
मध्याह्न भोजन योजना (MDM)	१०,५२४	१०,०००	१०,०००	१०,५००
राष्ट्रीय पोषण मिशन	२०	१,५००	९५०	३,०००
किशोरी सशक्तिकरण योजना	६२२	४६०	४६०	५००
राष्ट्रीय शिशु-गृह योजना	९८	२००	६५	१२८
बाल सुरक्षा योजना	४४६	६४८	६४८	७२५
देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत वाले कार्यरत बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना	५	२	०.०१	०.०१
कुल	२८,७२२	३०,७५५	२९,९६३	३३,५८८

पांच करोड़ कुपोषित बच्चों और दो करोड़ गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं के प्रति भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता को निम्न ३ उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है:

- पोषण संबंधी योजनाओं में से आंगनवाड़ी सेवा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योजना है। माताओं तथा ६ वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अनुपूरक पोषण प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। हालांकि इस वर्ष इस योजना हेतु पिछले वर्ष की तुलना में ७.१५% अधिक आवंटन किया गया है, लेकिन पछले बजटों में इसके आवंटन में इस कदर कटौती की गई थी कि इसका वर्तमान व्यय वर्तमान मूल्यों में भी २०१४–१५ के व्यय से कम है। वास्तविक मूल्यों में इस वर्ष का आंगनवाड़ी बजट २०१४–१५ (वा.) के बजट से ३९% कम है।
- सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं को NFSA द्वारा अधिदिष्ट ६,००० रुपए की राशि के वितरण को तीन

सालों तक स्थगित करती रही। अंततः २०१७–१८ के बजट में इसके राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन की घोषणा की गई, लेकिन जेटली ने इस योजना (मातृत्व लाभ कार्यक्रम, अब इसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना नाम दिया गया है) हेतु केवल २,७०० करोड़ रुपए का आवंटन किया, जो कि इसके सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कुल राशि का मात्र २८% है। इस वर्ष NFSA के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सरकार ने यह घोषणा की है कि वह मातृत्व लाभ हेतु केवल ५,००० करोड़ रुपए प्रदान करेगी, और जेटली ने बजट में इस योजना हेतु आवंटन को घटाकर २,४०० करोड़ रुपए कर दिया है।

- देश में बच्चों के बीच व्याप्त कुपोषण से निपटने हेतु मध्याह्न भोजन योजना एक महत्त्वपूर्ण योजना है। स्कूलों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि करना भी इस योजना का एक अन्य महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। चिदंबरम ने २०१४–१५ के अपने अंतरिम बजट में इस योजना हेतु १३,००० करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था, मोदी सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में इसे घटाकर १०,००० करोड़ रुपए कर दिया तथा आगामी वर्षों में इस योजना के आवंटन को लगभग इसी स्तर पर बनाए रखा। इस वर्ष इस योजना हेतु १०,५०० करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं—२०१४–१५ (वा.) की तुलना में वास्तविक मूल्यों में इसके व्यय में ३६% कमी आई है।

७. बजट तथा हाशिए पर स्थित वर्ग

समाज के हाशियाकृत वर्गों—जैसे कि स्त्रियां तथा दलित एवं आदिवासी—हेतु जेटली ने अपने पिछले बजटों जितना ही आवंटन किया है।

महिलाओं हेतु आवंटन

महिलाओं हेतु आवंटन की रूपरेखा लैंगिक बजट विवरण (Gender Budget Statement या GBS) के अंतर्गत प्रदान की जाती है। यह विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा महिलाओं हेतु नियत संसाधनों का संकलन प्रस्तुत करती है।

हमारे देश में प्रत्येक ९० सेकेंड में महिलाओं के विरुद्ध एक अपराध को अंजाम दिया जाता है, उसके बावजूद इस असंवेदनशील मोदी सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक मूल्यों के लिहाज़ से लैंगिक बजट में कटौती कर दी है। जेटली द्वारा प्रस्तुत किए गए पांचों बजटों को देखें तो २०१८–१९ के बजट का आवंटन २०१४–१५ के

संभावित अनुमान से मात्र ५.६१% अधिक है (सीएजीआर); वास्तविक अर्थों में यह कटौती को दर्शाता है। बजट परिव्यय एवं जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी लैंगिक बजट में कमी आई है (तालिका १७)।

तालिका १७: महिलाओं हेतु बजट आवंटन, २०१४ से २०१८ *(करोड़ रुपए)*

	२०१४–१५ ब.अ. (१)	२०१७–१८ सं.अ. (२)	२०१८–१९ (३)	(२) से (३) की वृद्धि	(१) से (३) की वृद्धि, सीएजीआर
लैंगिक बजट	९८,०३०	१,१७,२२१	१,२१,९६१	४.०४%	५.६१%
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	२१,१९४	२१,२३७	२४,७००	१६.३१%	३.९०%
बजट परिव्यय के % के रूप में लैंगिक बजट	५.४६%	५.२८%	४.९९%		
जीडीपी के % के रूप में लैंगिक बजट	०.७९%	०.७०%	०.६५%		

GBS का गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत किए गए आवंटन के बहुतांश भाग का वास्तव में महिला कल्याण से कोई संबंध नहीं है। GBS के दो भाग हैं। भाग A में ऐसी योजनाएं हैं जिनमें १००% आवंटन महिलाओं हेतु किया गया है। GBS के भाग A में इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए २१,००० करोड़ रुपए का आवंटन दर्शाया गया है। यदि महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों का सह-स्वामित्व भी प्रदान किया जाता है, तो भी यह योजना विशिष्ट रूप से महिलाओं को कैसे लाभान्वित कर रही है? इस योजना का आवंटन लैंगिक बजट के भाग A के कुल आवंटन (२९,३७८ करोड़ रुपए) का ७१.५% है।

GBS के भाग B में ऐसी योजनाएं शामिल हैं जिनमें महिलाओं के लिए कम-से-कम ३०% आवंटन किया गया है। सभी महत्त्वपूर्ण मंत्रालय यह दावा करते हैं कि उनका ३०–४०% आवंटन महिलाओं संबंधी होता है, और इसे लैंगिक बजट के भाग B में दर्शा दिया जाता है।

उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह दावा किया है

कि इसके ५२,८०० करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से इसने लैंगिक बजट के लिए २२,२६७ करोड़ रुपए (४२%) का आवंटन किया है; विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपने ५०,००० करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से लैंगिक विषयों हेतु १४,४५५ करोड़ रुपए (२९%) का आवंटन करने का दावा किया है; उच्च शिक्षा विभाग ने यह दावा किया है कि ३५,०१० करोड़ रुपए के अपने कुल आवंटन में से इसने १०,३६७ करोड़ रुपए (२९.६%) लैंगिक बजट हेतु आवंटित किए हैं। यह सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता कि इस आवंटन का उपयोग महिला कल्याण हेतु किया जाए, न ही ये मंत्रालय यह अनुमान लगाने का कोई प्रयास करते हैं कि इन योजनाओं से कितनी महिलाओं को लाभ मिला है। भाग B (९२,५८३ करोड़ रुपए) कुल लैंगिक बजट का ७६% अंश है।

इसका अर्थ यह है कि लैंगिक बजट के तीन-चौथाई से अधिक का महिला कल्याण से कोई विशिष्ट संबंध नहीं है।

विशिष्टतः महिला कल्याण उन्मुख योजनाएं

आइए अब भाग A के अंतर्गत ऐसी योजनाओं का जाएज़ा लेते हैं जो पूर्णतः महिला कल्याण को समर्पित हैं।

उज्ज्वला योजना हाल के दिनों में बहुत चर्चा में है। इस योजना के तहत निर्धन महिलाओं को निःशुल्क कुकिंग गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इस वर्ष के बजट में इस योजना हेतु बड़ी मात्रा में आवंटन भी किया गया है (३,२०० करोड़ रुपए)। पिछले वर्ष जेटली ने इतनी ही राशि आवंटित की थी और उन्होंने दावा किया था कि २ करोड़ से भी अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करवाए जा चुके हैं—और तब भी जेटली ने पिछले वर्ष के आवंटन में से १,००० करोड़ रुपए की बचत कर ली। इस वर्ष आवंटन पिछले साल जितना ही रखा गया है, लेकिन जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को ५ करोड़ से बढ़ाकर ८ करोड़ कर दिया है।

मोदी–जेटली की अन्य बहुत सी घोषणाओं की ही तरह यह योजना भी थोथी साबित होती जा रही है। इस योजना के तहत हालांकि गैस कनेक्शन लेने के समय गरीब महिलाओं को कोई रकम अदा नहीं करनी होती है, लेकिन चूल्हा और पहला सिलेंडर उन्हें निःशुल्क नहीं बल्कि ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है और सिलेंडर की प्रत्येक भराई के समय प्राप्त होने वाली सब्सिडी में से इस राशि की वसूली की जाती है (वर्तमान समय में यह सब्सिडी बाज़ार मूल्य की लगभग एक-चौथाई है)। इसका अर्थ

यह है कि जब तक ऋण (लगभग १,५०० रुपए) की पूरी उगाही नहीं हो जाती है तब तक इन महिलाओं को प्रत्येक सिलेंडर के बाज़ार मूल्य (वर्तमान समय में यह लगभग ६५० रुपए है) का भुगतान करना होगा। लेकिन अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे के परिवार सिलेंडर के लिए इतनी कीमत अदा करने में असमर्थ हैं। परिणामस्वरूप, ऐसी खबरें आ रही हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर प्राप्त करने वाले बहुत कम परिवार सिलेंडर भराई के लिए आते हैं।[86]

भाग A की महिला कल्याण संबंधी अधिकांश योजनाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इनके लिए कुल आवंटन अति न्यून है (४,२८६ करोड़ रुपए), पिछले वर्ष भी यह लगभग इतना ही (४,२७० करोड़ रुपए) था। किशोरी सशक्तिकरण योजना (इसे SABLA भी कहा जाता है) के लिए २०१७–१८ (सं.अ.) में ४६० करोड़ रुपए आवंटन किया गया था, इस वर्ष इसे बढ़ाकर ५०० करोड़ रुपए किया गया है। २०१६–१७ में यह योजना २०५ ज़िलों में लागू की जा रही थी, पिछले वर्ष सरकार ने यह घोषणा की थी कि अगले दो वर्षों के दौरान (२०१८–१९ तक) इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने इस योजना के आवंटन में भी कटौती कर दी है—२०१४–१५ में इसे ७०० करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे।

अन्य योजनाओं हेतु इतना कम आवंटन किया गया है कि यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उनके प्रति गंभीर नहीं है और इनकी घोषणा केवल प्रचार के मकसद से की गई है। उदाहरणार्थ: 'महिला हेल्पलाइन' को २९ करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है; कामगार महिला होस्टलों के लिए ६० करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है (पिछले वर्ष यह आवंटन ५० करोड़ था जिसमें से केवल ३० करोड़ व्यय किया गया); राष्ट्रीय महिला कोष को तो ०.०१ करोड़ रुपए का छप्पर-फाड़ आवंटन किया गया है, इस योजना के तहत आजीविका, लघु-उद्यमों आदि हेतु महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान किए जाते हैं; केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड को मात्र ७१.५ करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, यह योजना विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल कल्याण हेतु कई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चलाती है; राष्ट्रीय महिला आयोग को २४ करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यह संस्था महिलाओं के अधिकारों आदि की वंचनाओं संबंधी शिकायतों की जांच करने वाला एक वैधानिक निकाय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में बहुत हो-हल्ला किया जाता है, इसका आवंटन बढ़ाकर २८० करोड़ रुपए किया गया है, लेकिन इस योजना के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष इसके २०० करोड़ रुपए के आवंटन में

से केवल १८० करोड़ खर्च किया गया।

समाचार पत्रों में हर रोज़ बलात्कार, तेज़ाबी हमले तथा घरेलू हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार की महिला सुरक्षा के बारे में असंवेदनशीलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने निर्भया कोष का भी पूरा उपयोग नहीं किया है। दिसंबर २०१२ में एक युवती के साथ जघन्य अपराध का मामला सामने आने के बाद उस समय के वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अपने २०१३ के बजट में इस कोष का प्रावधान किया था, जिसके अंतर्गत १,००० करोड़ रुपए की निधि के माध्यम से सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को सहयोग प्रदान किया जाना था। जेटली ने भी अपने २०१४ और २०१५ के बजट में इस कोष को १,००० करोड़ रुपए की निधि प्रदान की, और फिर २०१६ और २०१७ के बजटों में इसे घटाकर ५०० करोड़ कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें से अधिकांश निधि अप्रयुक्त पड़ी रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, २०१७–१८ में निर्भया कोष में २,७११ करोड़ रुपए की राशि संचित हुई थी, लेकिन इसमें से केवल ८२५ करोड़ का ही उपयोग किया गया है।[87] इस वर्ष भी जेटली ने इस कोष के लिए ५०० करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

दलितों और आदिवासियों हेतु आवंटन

अपने २०१८–१९ के बजट भाषण में जेटली ने कहा कि इस वर्ष उन्होंने अनुसूचित जाति (SC) संबंधी कार्यक्रमों के लिए ५६,६१९ करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जनजाति (ST) संबंधी योजनाओं के लिए ३९,१३५ करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले वर्ष यह राशि क्रमशः ५२,७१९ करोड़ तथा ३२,५०८ करोड़ थी, अतः यह वृद्धि बहुत मामूली है।

हम यह पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जेटली का २०१८–१९ का बजट छल से लबरेज़ है, लेकिन बजट का यह अंश तो सरासर धोखाधड़ी है।

१९७० के दशक में सरकार ने अनुसूचित जाती उप-योजना (Scheduled Caste Sub-Plan या SCSP) तथा अनुसूचित जनजाति उप-योजना (Tribal Sub-Plan या TSP) की शुरुआत की। इन योजनाओं का उद्देश्य यह था कि केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा नियत राशि को दलितों और आदिवासियों तक पहुंचाया जाए ताकि इन समुदायों और बाकी समाज के बीच विकास के अंतर को कम किया जा सके। इन दोनों कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक मंत्रालय / विभाग को अपने योजनागत व्यय में से इन योजनाओं के लिए अलग बजट शीर्षकों /

उप-शीर्षकों के अंतर्गत राशि का आवंटन करना होगा, और योजनागत व्यय में से यह आवंटन कुल जनसंख्या में दलितों एवं आदिवासियों की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। २०११ की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में दलितों का अनुपात १६.६% तथा आदिवासियों का अनुपात ८.६% है। इसका अर्थ यह है कि कुल योजनागत व्यय में से SCSP तथा TSP के लिए आवंटन कम-से-कम इतना तो होना ही चाहिए। यह अलग बात है कि इन योजनाओं हेतु कभी भी इस अनुपात में आवंटन नहीं किया गया। भाजपा के शासनकाल में यह अनुपात संप्रग सरकार के अनुपात से भी कम हो गया है—२०१६–१७ के बजट अनुमान में यह आवंटन योजनागत व्यय का क्रमशः ७.०६% तथा ४.३६% था।

२०१७ में सरकार ने बजट का योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय में वर्गीकरण समाप्त कर इनका विलय कर दिया। इसका एक प्रभाव यह हुआ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु निर्धारित राशि के लक्षित प्रवाह की रणनीति प्रभावित हुई। न तो २०१७ के बजट में और न ही इस वर्ष के बजट में सरकार ने SCSP तथा TSP उप-योजनाओं के लिए आवंटन निर्धारित करने की कोई नवीन रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसने केवल मंत्रालयों से यह कह दिया है कि वे अपने कुल आवंटन में से इन उप-योजनाओं हेतु निधि का आवंटन कर दें। इन योजनाओं का नाम बदलकर क्रमशः 'अनुसूचित जाति कल्याण हेतु आवंटन' तथा 'अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु आवंटन' कर दिया गया है। यानी अब ये आवंटन अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण हेतु योजनागत व्यय में से लक्षित आवंटन नहीं हैं। अब ये आवंटन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाया गया मोटा-मोटा अनुमान प्रस्तुत करते हैं कि उनकी सामान्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों से ये दमित-शोषित वर्ग कितना लाभान्वित होंगें। अतः अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण हेतु इस वर्ष के बजट (तथा पिछले वर्ष के बजट) में किए गए आवंटन की पूर्ववर्ती वर्षों में SCSP तथा TSP हेतु किए गए आवंटन के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

आइए, अब अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु इस वर्ष के बजट में किए गए न्यून-आवंटन और SCSP एवं TSP के लिए अनुबद्ध दिशा-निर्देशों के बीच तुलना करने का प्रयास करते हैं। दिशा-निर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि कुल योजनागत व्यय में से SCSP तथा TSP हेतु क्रमशः १६.६% तथा ८.६% का आवंटन किया जाना चाहिए। २०१६–१७ का बजट वह आखरी बजट था जिसमें योजनागत एवं गैर-योजनागत बजटों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था। उस बजट में SC हेतु ९१,३०२ करोड़ रुपए (योजनागत बजट का १६.६%) तथा ST हेतु ४७,३०१ करोड़

रुपए (योजनागत बजट का ८.६%) आवंटित किए जाने चाहिए थे। ये दोनों आंकड़े २०१६–१७ के कुल बजट व्यय का क्रमशः ४.६२% तथा २.३९% हिस्सा हैं। आइए, यह मानकर चलें कि इस वर्ष (२०१८–१९) के कुल बजट व्यय में से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण हेतु इसी अनुपात में आवंटन किया जाना चाहिए था। इसका अर्थ यह है कि २०१८–१९ के बजट में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को कम से कम क्रमशः १,१२,८३० करोड़ तथा ५८,३६९ करोड़ रुपए आवंटित किए जाने चाहिए थे। लेकिन वास्तविक आवंटन उपरोक्त आंकड़ों से क्रमशः ५६,२१२ करोड़ तथा १९,२३४ करोड़ रुपए कम है (तालिका १८)।

तालिका १८: SC व ST कल्याण हेतु आवंटन में कमी का अनुमान, २०१८–१९ *(करोड़ रुपए)*

	२०१८–१९
कुल बजट परिव्यय	२४,४२,२१३
SC कल्याण हेतु अपेक्षित आवंटन: बजट परिव्यय का ४.६२%	१,१२,८३०
वास्तविक परिव्यय	५६,६१८
परिव्यय में कमी	५६,२१२
ST कल्याण हेतु अपेक्षित आवंटन: बजट परिव्यय का २.३९%	५८,३६९
वास्तविक परिव्यय	३९,१३५
परिव्यय में कमी	१९,२३४

८. निष्कर्ष

मोदी सरकार न केवल किसान विरोधी है बल्कि यह निर्धन-विरोधी भी है। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार का अभिविन्यास निम्न है:

- जीडीपी में वृद्धि के नाम पर लाखों करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन एवं संसाधनों का देशी-विदेशी महाकाय व्यावसायिक घरानों को हस्तांतरण करना;
- राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के नाम पर निर्धनों के कल्याण हेतु नियत व्यय में कटौती करना, आवश्यक सेवाओं का निजीकरण करना तथा इन्हें मुनाफाखोर निजी निगमों को सुपुर्द करना।

मोदी सरकार महाकाय निगमों एवं अति-धनाढ्य वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए इस कदर बेशर्मी के साथ अर्थव्यवस्था का संचालन कर रही है कि २०१७ में भारत में

कमाई गई कुल संपत्ति में से ७३% देश के सबसे अमीर १% लोगों की जेब में गई, तो दूसरी तरफ ६७ करोड़ निर्धन जनता—आबादी का निचला आधा हिस्सा—को सिर्फ १% प्राप्त हुआ।[88] जिस देश में भुखमरी से पीड़ित विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है, जहां ४०% बच्चे मूलभूत शिक्षा तक पूरी नहीं कर पाते हैं, और जहां जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की कमी के कारण लाखों लोग सुसाध्य रोगों से मर जाते हैं, वही देश अब अरबपतियों के मामले में दुनिया का तीसरे नंबर का देश बन चुका है। सिर्फ एक वर्ष के अंदर (२०१६ से २०१७) देश में अरबपतियों की संख्या १०२ से बढ़कर १२१ हो गई। देश के अमीरतम आदमी, मुकेश अंबानी, की संपदा में ७३% की वृद्धि हुई है और उनकी कुल संपदा ४ हज़ार करोड़ डॉलर अथवा २.६ लाख करोड़ रुपए हो गई है। मोदी सरकार के चार सालों में देश में अरबपतियों की संख्या दुगुने से भी ज्यादा हो गई है (२०१४ में *फोर्ब्स* ने ५६ भारतीय अरबपतियों को सूचीबद्ध किया था)।[89]

भाजपा और उसकी पितृ-संस्था आरएसएस द्वारा भारत पर फासीवाद विचारधारा थोपने की कोशिशों के पीछे भी यही कारण निहित है। वे घर वापसी और लव जिहाद जैसी मुहिमों, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी और आक्रामक धार्मिक जुलूस निकालकर दंगे भड़काने जैसे हथकंडे अपनाकर समाज में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान उनके असली एजेंडा की तरफ न जाए—महाकाय देशी-विदेशी निगमों के लाभार्जन हेतु अर्थव्यवस्था का संचालन करना। जैसा कि मुसोलिनी ने कहा था, 'फासीवाद कॉर्पोरेटवाद ही है।'

संदर्भ

1 "Citing Reforms that Lift Growth, Moody's Upgrades India First Time Since 2004", November 18, 2017, http://indianexpress.com.

2 Neeraj Jain, "Moody's Upgrades India's Sovereign Rating: What Does it Really Mean?" *Janata*, December 3, 2017, http://lohiatoday.com.

3 *Highlights of Quarterly Report on 'India's External Debt for the Quarter Ended September 2017'*, Ministry of Finance, December 29, 2017, http://pib.nic.in.

4 *Developments in India's Balance of Payments During the Third Quarter (October–December) of 2017–18*, March 16, 2018, https://www.rbi.org.in.

5 *Economic Survey 2017–18*, Volume 2, pp. 17–18, http://indiabudget.nic.in.

6 *India's External Debt as at the End of June 2017*, RBI Press Release, September 29, 2017, https://rbi.org.in.

7 *India's International Investment Position (IIP), September 2017*, RBI Press Release, December 29, 2017, https://rbi.org.in.

8 आरबीआई के अनुसार, जून २०१८ अंत तक: कुल FCNR (B) जमाएं = २०.९ बिलियन डॉलर; कुल NRERA जमाएं = ८४.६ बिलियन डॉलर. कुल = १०५.५ बिलियन डॉलर. इसमें से FCNR (B) की ११.४ बिलियन डॉलर तथा NRERA की ५८.८ बिलियन डॉलर (कुल ७०.२ बिलियन डॉलर) जमाओं को अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के अल्पकालिक ऋण में शामिल किया गया है. १०५.५ – ७०.२ = ३५.३ बिलियन डॉलर. *India's External Debt as at the End of June 2017* से लिया गया डाटा, पूर्वोक्त.

9 *Foreign Exchange Reserves*, RBI Weekly Statistical Supplement, July 7, 2017, https://www.rbi.org.in.

10 *Economic Survey 2017–18*, Volume 2, p. 17, op. cit.

11 "India Vulnerable to Sudden Outflow of Forex: RBI", January 31, 2011, http://www.thehindu.com.

12 २०१८ बजट भाषण, वित्त मंत्री अरुण जेटली, *Union Budget*, http://indiabudget.nic.in पर उपलब्ध.

13 Arun Kumar, "India's Troubling and Official Growth Numbers Are Only the Tip of the Iceberg", October 3, 2017, https://thewire.in.

14 बजट संबंधी सभी आंकड़े *Union Budget,* http://indiabudget.nic.in पर उपलब्ध बजट दस्तावेज़ों से लिए गए हैं.

15 २०१५–१८ के लिए: संघीय बजट के आंकड़े; पूर्ववर्ती वर्षों के लिए: P.R. Panchmukhi, "Social Impact of Economic Reforms in India", *Economic and Political Weekly*, Mumbai, March 4, 2000, p. 839, www.epw.in.

16 *Economic Survey 2017–18*, Volume 1, p. 1, op. cit.

17 *Economic Survey 2015–16*, Volume 1, p. 107, http://indiabudget.nic.in.

18 *Economic Survey 2017–18*, Volume 1, p. 5, op. cit.

19 "Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005–2014", Global Financial Integrity, Washington, DC, USA, April 2017, http://www.gfintegrity.org.

20 हमारा प्रकाशन देखें – *Demonetisation: Yet Another Fraud on the People*, Lokayat and Janata Trust publication, January 2017, www.lokayat.org.in.

21 यहां एक स्पष्टीकरण प्रदान करने की आवश्यकता है: २०१७–१८ के बजट दस्तावेज़ में मोदी सरकार ने इन गणनाओं की विधि में परिवर्तन कर दिया जिसके कारण इन छूटों के चलते २०१६–१७ में बट्टे खाते में डाला गया अनुमानित राजस्व घटकर आधे से भी नीचे आ गया. *जनता साप्ताहिक,* मुंबई (Neeraj Jain, "Pandering to Dictates of Global Finance", *Janata*, February 19, 2017, http://www.janataweekly.org) में प्रकाशित हमारे लेख में हमने पुरानी विधि के माध्यम से २०१६–१७ में धनी वर्ग को प्रदान की गई टैक्स छूट का आकलन लगाया है, और हमने पाया कि इस वर्ष में भी धनी वर्ग को २०१४–१५ और २०१५–१६ जितनी ही, यानी कि ५.५० लाख करोड़ रुपए, टैक्स छूट प्रदान की गई है.

22 "Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union Budget 2015–16", Centre for Budget and Governance Accountability, March 2015, pp. 18–19, http://www.cbgaindia.org. *Economic Survey 2017–18, Volume 1, p. 56, op. cit.* में दिए गए आलेख में भी यही आंकड़ा प्रदान किया गया है.

23 *Economic Survey 2017–18*, Volume 1, p. 57, ibid.

24 Ibid.; "How Modi Government's Budgets Have Differed from UPA's", February 9, 2018, http://www.livemint.com.

25 हमने इसकी गणना निम्न डाटा के आधार पर की है: (i) २००४–१५ की अवधि में सरकारी बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए कुल ऋण २.११ लाख करोड़ रुपए ("PSU Banks' Write-Off of Bad Loans at Rs 1,14,000 Cr in 2013–15: RBI", February 8, 2016, http://www.domain-b.com), (ii) सरकारी बैंकों ने २०१४–१५ में ४९,०१८ करोड़, २०१५–१६ में ५७,५८६ करोड़ तथा २०१६–१७ में ८१,६८३ करोड़ रुपए को बट्टे खाते में डाला ("PSU Banks Write Off Rs 2.49 Lakh Crore of Loans in 5 Years", August 7, 2017, http://economictimes.indiatimes.com).

26 Devidutta Tripathy, Suvashree Choudhury, "No Respite for Banks as Bad Loans Hit Record Rs 9.5 Trillion", October 10, 2017, https://thewire.in.

27 उदाहरण के लिए देखें: "Revenue Shortfall: Centre May Get Lower than Expected Dividend from PSBs", November 29, 2017, http://indianexpress.com.

28 "Behind the Attack on 'Subsidies'", *Aspects of India's Economy*, No. 49, August 2010, http://www.rupe-india.org; *FAQs – Public Private Partnership in India*, Ministry of Finance, Government of India, http://pppinindia.com.

29 "Crony Capitalism a Big Threat to Countries like India, RBI Chief Raghuram Rajan Says", August 12, 2014, http://timesofindia.indiatimes.com; Bharadwaj Sharma, "Crony Capitalism Leads to Decline in Economic Growth: Raghuram Rajan", August 12, 2014, http://www.ibtimes.co.in.

30 "The Richest 1% of Indians Now Own 58.4% of Wealth", November 24, 2016, http://www.livemint.com.

31 "General Government Revenue (% of GDP) Data for All Countries", Data Source – IMF, Year 2015, http://economywatch.com; ओईसीडी देशों का डाटा यहां भी उपलब्ध है: "General Government Revenue", https://data.oecd.org.

32 Kirankumar Vissa, "For India's Farmers, Budget 2018 Is Nothing but a Hoax", February 2, 2018, https://thewire.in.

33 Ibid.; R. Ramakumar, "There's No Reason to Be Confused on How to Calculate the Right MSP", February 13, 2018, https://thewire.in.

34 "Finance Minister Reveals Formula for Fixing MSP 50% Over Production Cost", February 10, 2018, http://www.sify.com.

35 Kirankumar Vissa, "For India's Farmers, Budget 2018 Is Nothing but a Hoax", op. cit.

36 Ibid.

37 "Expert Gyan: Is Budget 2018 Really Putting Farmers First?" February 1, 2018, https://thewire.in; Elumalai Kannan, "Trends in Agricultural Incomes: An Analysis at the Select Crop and State Levels in India", *Journal of Agrarian Change*, Vol. 15, No. 2, April 2015, pp. 201–219, https://www.researchgate.net.

38 "Private Insurers Reap a Windfall from Crop Cover Scheme", July 20, 2017, http://www.thehindubusinessline.com; "Union Budget: 2018–19: Issues of Marginalised Sections", Delhi Solidarity Group, https://www.scribd.com.

39 "Key Indicators of Debt and Investment in India, AIDIS data – ICSSR Data Service", NSSO Office, Government of India, December 2014, www.icssrdataservice.in; "Debt and Investment Survey: NSS Forty-Eighth Round, 1992", February 1998, http://mospi.nic.in.

40 P. Sainath, "The Slaughter of Suicide Data", August 5, 2015, http://psainath.org; "Demo and Other Demons in the Barn", June 26, 2017, https://www.outlookindia.com.

41 "Farmers' Suicide Up by 40 Pc Due to Drought in 2015; Maharashtra Worst-Hit", August 19, 2016, http://www.indiatvnews.com.

42 R. Ramakumar and Pallavi Chavan, "Bank Credit to Agriculture in India in the 2000s: Dissecting the Revival", *Review of Agrarian Studies*, 2014; cited in "India's Peasantry Under Neoliberal Rule", *Aspects of India's Economy*, Nos. 66–67, Part II, http://www.rupe-india.org.

43 M. Borah, "Dynamics and Performance of Livestock and Poultry Sector in India: A Temporal Analysis", June 2014, http://jairjp.com; M.M. Islam, "Scenario of Livestock and Poultry in India and Their Contribution to National Economy", 2016, www.ijset.net.

44 "Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin: At a Glance", Ministry of Rural Development, http://ruraldiksha.nic.in.

45 Jayati Ghosh, "Did the FM Deliver for Farmers?" Macroscan, February 2, 2018, http://www.macroscan.org. एक अन्य अनुमान में इसे 7,000 करोड़ रुपए बताया गया है: Ruchika Chitravanshi, "NREGA May Get Record Rs 55k Cr for FY19", December 9, 2017, https://economictimes.indiatimes.com.

46 "Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act", At a Glance, http://nrega.nic.in.

47 "Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana – Saubhagya", https://www.india.gov.in, accessed on March 14, 2018; Kumar Sambhav Shrivastava, "Budget 2018 Talks Big on Rural Economy and Agriculture. But Where Is the Money?" February 2, 2018, https://scroll.in.

48 उदाहरण के लिए, हमारी पुस्तिका देखें: *Spectre of Fascism*, op. cit.; और Neeraj Jain, "Budget 2017–18: Is it Indeed a Pro-Farmer Budget?" *Janata Weekly*, February 12, 2017, http://janataweekly.org.

49 Ashok Gulati, "From Modi, Manmohan, Vajpayee to Rao, Here Is Who Generated the Lowest Agri Growth", January 15, 2018, http://www.financialexpress.com.

50 "India Faces Rs 3 Lakh Cr Farm Loan Waivers – 16 Times 2017 Rural Roads Budget", June 17, 2017, http://www.business-standard.com.

51 "Fairy Tales About Foreign Investment", *Aspects of India's Economy*, May 2017, http://www.rupe-india.org में उद्धृत.

52 Devinder Sharma, "How World Bank's Economic Chakravyuh Is Trapping Indian Farmers", September 30, 2017, https://www.ecologise.in.

53 OECD के लिए: *Government Social Spending: Total Public Social Expenditure as a Percentage of GDP*, OECD iLibrary, December 20, 2013, http://www.oecd-ilibrary.org; ईयू–२७ के लिए: "Chapter 3 – Social Protection Systems Confronting the Crisis" in *Employment and Social Developments in Europe 2012*, European Commission, Brussels, January 2013, www.europarl.europa.eu; लैटिन अमेरिका के लिए: *Sustainable Development in Latin America and the Caribbean: Regional Perspective Towards the Post-2015 Development Agenda*, United Nations ECLAC, July 2013, www.eclac.org.

54 *Economic Survey 2017–18*, Volume 2, p. 168, op. cit. निःसंदेह भारत और अन्य देशों के सामाजिक क्षेत्र व्यय की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि अन्य देश अपने सामाजिक क्षेत्र व्यय को किन शीर्षकों के अंतर्गत प्रदान करते हैं. लेकिन कुल मिलाकर यह तुलना हमें भारत और अन्य देशों के सामाजिक क्षेत्र व्यय का मोटामोटी तुलनात्मक आकलन प्रदान करती है.

55 Alok Kumar et al., *Social Sector Expenditure of States: Pre & Post Fourteenth Finance*

Commission (2014–15 & 2015–16), http://niti.gov.in में पृ. ५ पर दी गई तालिका से गणना की गई. बजट दस्तावेज़ के अनुसार २०१७–१८ में सामाजिक क्षेत्र पर व्यय १.९५ लाख करोड़ रुपए था; *आर्थिक सर्वेक्षण २०१७–१८* के अनुसार केंद्र एवं राज्यों का कुल सामाजिक क्षेत्र व्यय १०.९४ लाख करोड़ रुपए था.

56 इसमें हमने सामाजिक क्षेत्र से संबंधित १३ मंत्रालयों को शामिल किया है: संस्कृति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय + आयुष, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (अब इसका नाम बदलकर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कर दिया गया है, इसमें से हमने उन शीर्षकों को लिया है जो पिछले वर्ष आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत प्रदान किए गए थे), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, और खाद्य सब्सिडी.

57 *Economic Survey 2017–18*, Volume 1, pp. 43–44, op. cit.

58 Ibid., p. 53.

59 उदाहरण के लिए, देखें: Aaron Reeves et al., "Does Investment in the Health Sector Promote or Inhibit Economic Growth?" *Global Health*, September 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov.

60 *Twelfth Five Year Plan: 2012–17, Vol. III: Social Sectors*, p. 53, http://planningcommission.nic.in.

61 *Elementary Education in Urban India: Analytical Reports, 2011–12, and Elementary Education in Rural India: Analytical Reports, 2011–12*, NUEPA, http://www.dise.in के आधार पर गणना की गई; सितम्बर ३०, २०११ तक का डाटा संग्रहित किया गया है.

62 Ranajit Bhattacharyya, Aadarsh Gangwar, "Why India Needs to Count Its Broken Toilets", July 19, 2017, http://www.indiaspend.com; Madhura Karnik, "India Has Superpower Ambitions, but Its Schools Don't Have Power, Computers or Librarians", August 10, 2016 https://qz.com.

63 Jayati Ghosh, "Failing the Education Sector", *Frontline*, March 2, 2018, http://www.frontline.in; Alison Saldanha, Prachi Salve & Vipul Vivek, "Budget 2018: Health, Education, Sanitation Allocation Appears to Be Most in 3 Years but It Isn't", February 2, 2018, http://www.firstpost.com.

64 "One in Two Indian Students Can't Read Books Meant for Three Classes Below: ASER", January 19, 2017, http://www.livemint.com.

65 Ambarish Rai, "Budget Focus on Infrastructure, Digital Education Cannot Work in a Vacuum", February 2, 2018, https://thewire.in.

66 Jayati Ghosh, "Failing the Education Sector", op. cit.

67 J.B.G. Tilak, *How Inclusive Is Higher Education in India?* 2015, http://www.educationforallinindia.com; *Neoliberal Fascist Attack on Education*, Lokayat publication, available on Lokayat website, http://lokayat.org.in भी देखें.

68 *Neoliberal Fascist Attack on Education*, ibid., p. 52.

69 "Economic Survey: Government Spending on Education Less than 3% of GDP", January 31, 2017, http://indianexpress.com.

70 Deepshikha Sikarwar, Vinay Pandey, "Modicare: Healthcare Scheme Could Cost Exchequer Rs 10,000 Crore a Year", February 3, 2018, https://economictimes.indiatimes.com.

71 "Budget 2018: Arun Jaitley Hits Refresh on Two-Year-Old 'National Health Protection Scheme'", February 1, 2018, http://indianexpress.com; "Parliamentary Panel Red-Flags

Government's Ambitious Healthcare Scheme", March 13, 2018, https://economictimes.indiatimes.com.

72 Anoo Bhuyan, "Budget 2018: Jaitley's 'World's Largest Health Programme' Rejigs Flailing Old Ones", February 1, 2018, https://thewire.in; Dipa Sinha, "Neglecting Health Expenditure in Favour of the Chimera of Insurance", February 29, 2016, https://thewire.in.

73 Prachi Salve, Swagata Yadavar, "Why Rashtriya Swasthya Bima Yojana Has Failed India's Poor", October 19, 2017, http://smartinvestor.business-standard.com.

74 David Coady et al. (edited), *The Economics of Public Health Care Reform in Advanced and Emerging Economies*, International Monetary Fund, 2012, pp. 23–34, http://books.google.co.in; Nirmala M. Nagaraj, "India Ranks 171 Out of 175 in Public Health Spending, Says WHO Study", August 11, 2009, http://timesofindia.indiatimes.com.

75 Sourindra Mohan Ghosh, Imrana Qadeer, "Union Budget 2018: Poor Diagnosis, Wrong Medicine", February 3, 2018, http://indianexpress.com.

76 Rema Nagarajan, "Budget Health Spend Not on Course to Meet 2025 Target", February 3, 2018, https://timesofindia.indiatimes.com.

77 "Urban Health Mission to Cover 7.75 Crore People", May 2, 2013, http://www.thehindu.com.

78 Sourindra Mohan Ghosh, Imrana Qadeer, "Union Budget 2018: Poor diagnosis, wrong medicine", op. cit.

79 Dipa Sinha, "Why the Poor Will Not Be the True Beneficiaries of the 'World's Largest Health Programme'", February 1, 2018, https://thewire.in.

80 "India 100th on Global Hunger Index, Trails North Korea, Bangladesh", October 12, 2017, http://www.thehindu.com.

81 "Prevalence of Wasting Among Children Is Rising, Shows NFHS–4 Data", http://www.im4change.org; Swagata Yadavar, "Indian Children Healthier than Ever, but Other Nations Doing Better: Data", March 3, 2017, http://www.business-standard.com.

82 हमारी पुस्तिका देखें: *Is the Government Really Poor*, Lokayat publication, 2018, www.lokayat.org.in.

83 अधिक जानकारी के लिए देखें, उपरोक्त.

84 Sanjeeb Mukherjee, "Outlay Shows States May Go Slow on Food Security Plan", July 12, 2014, http://www.business-standard.com; "Right to Food Campaign on Budget 14", July 12, 2014, http://www.indiaresists.com.

85 Neeraj Jain, "For a Universalised Public Distribution System", *Janata*, August 27, 2017, http://janataweekly.org.

86 "Modi's Pet Ujjawala Scheme Wobbles as Many Beneficiaries Drop Out After Their First LPG Cylinder", June 11, 2017, https://scroll.in.

87 "Less than 30% of Nirbhaya Fund Utilised: RTI Reply", February 11, 2018, http://www.business-standard.com.

88 "Richest 1% Cornered 73% of Wealth Generated in India in 2017: Oxfam Survey", January 22, 2018, https://thewire.in.

89 "Forbes World's Billionaire List: India Billionaire Count Soars to 121; but US and China Have Way More", March 7, 2018, http://www.financialexpress.com; "India's Billionaires List Rises to All Time High of 56: Forbes", March 4, 2014, http://www.vccircle.com.

जनता साप्ताहिक और जनता ट्रस्ट के बारे में

जनता एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जनवरी १९४६ में शुरू हुआ था जब भारतीय राजनीतिक चेतना अपने प्रारंभिक उभार के दौर में थी। इसकी शुरुआत समाजवादी बुद्धिजीवियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की एक मंडली ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में की थी। इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक समाजवादी सोच का प्रसार, लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं की चर्चा और जमीनी सामाजिक परिवर्तन और हाशिये पर खड़े वर्गों के संघर्ष को समर्थन और बढ़ावा देना।

शुरुआत में सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में और अब एक स्वतंत्र समाजवादी पत्रिका के रूप में *जनता* पत्रिका ने राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मूल्यों के विरुद्ध होने वाले आचरण के खिलाफ सैद्धांतिक असहमति की चुनौतीपूर्ण आवाज उठाई है और साथ ही स्वस्थ पत्रकारिता की सत्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों को भी कायम रखा है।

अगस्त १९७१ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारी समिति की एक बैठक में *जनता* के संचालन के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इस तरह, १७ अक्टूबर १९७७ को एन.जी. गोरे, रोहित दवे, प्रेम भसीन, एस.एम. जोशी, मधु दंडवते, सुरेंद्र मोहन और देश के अन्य जाने-माने समाजवादियों द्वारा जनता ट्रस्ट बनाया गया।

समाजवादी दलों और समाजवादी आंदोलनों के काफी कमजोर हो जाने के बावजूद, अपनी स्थापना से लेकर अब तक लगातार प्रकाशन से (सिवाय आपातकाल के दौर में जब इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था) *जनता* पत्रिका की अपनी खास पहचान बनी है। इसके संपादकों में अरुणा आसफ अली, एन.जी. गोरे, प्रेम भसीन, मधु दंडवते, जे.डी. सेठी, एच.के. परांजपे और सुरेंद्र मोहन जैसे समाजवादी आंदोलन के दिग्गज शामिल रहे हैं। इसके वर्तमान संपादक जी.जी. पारिख हैं, जिन्होंने २०१० में सुरेंद्र मोहन के निधन के बाद यह जिम्मेदारी ली। अप्रैल २०१८ में नीरज जैन ने जनता के सह-संपादक की ज़िम्मेदारी संभाली।

जनता साप्ताहिक, मुंबई

मुख्य संपादक: जी.जी. परीख **सह-संपादक:** नीरज जैन

पत्ता: डी/१५, गणेश प्रसाद, नौशीर भरुचा मार्ग, ग्रांट रोड (पश्चिम), मुंबई – ४०० ००७

www.janataweekly.org janataweekly@gmail.com

०२२ – २३८७००९७

लोकायत के बारे में

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्त्व राज्य को निर्देशित करते हैं कि वो अपनी नीतियां निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित करे:

- समतामूलक समाज का निर्माण; यह सुनिश्चित करना कि धन का संकेंद्रण कुछ लोगों के हाथ में न हो; यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो; सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना और सभी बच्चों के लिए शिक्षा के पर्याप्त साधन मुहैया करवाना।

दुर्भाग्य से भारतीय संसद पर प्रभुत्व जमाए बैठी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने राष्ट्र के संस्थापकों की इस दृष्टि को त्याग कर देश की जनता से संबंध-विच्छेद करने का फैसला कर लिया है। जब से भारत के शासक वर्ग ने १९९१ में भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का फैसला लिया, उसके बाद से देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ बड़े विदेशी और भारतीय कॉर्पोरेट घरानों को अधिकतम लाभ पहुंचने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। बड़े कॉर्पोरेट समूह विशालकाय अवसंरचनागत परियोजनाओं और अमीरो के लिए मॉल्स / गोल्फ कोर्स / विशालकाय बंगलों के निर्माण आदि के लिए गरीबों को उनके जल, जंगल, ज़मीन और संसाधनों से बेदखल करने के लिए क्रूर हमले कर रहे हैं। बैंकों और बीमा कंपनियों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। खेती, जिस पर भारत की ५०% आबादी अभी भी आजीविका के लिए निर्भर है, का जान-बूझकर गला घोंटा जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र बड़ी-बड़ी कृषि कंपनियों के हवाले किया जा सके; परिणामस्वरूप जब से ये कथित 'सुधार' शुरू हुए हैं, तीन लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लाखों की संख्या में छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी आवश्यक जरूरतों का निजीकरण कर उनको मुनाफाखोरी का माध्यम बना दिया जा रहा है। देश पर्यावरणीय तबाही की ओर बढ़ रहा है—हमारे नदी–समुद्र–हवा–मिट्टी को प्रदूषित कर हमारे ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाला जा रहा है।

इन नीतियों ने हद दर्जे की अश्लील असमानताओं को पैदा किया है। एक तरफ अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं—मात्र चार सालों में अरबपतियों की संख्या ५६ से १२१ यानी दोगुनी से अधिक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ गरीब और भी अधिक गरीब होते जा रहे हैं—आबादी का तीन-चौथाई हिस्सा दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है; ५ साल से कम उम्र के आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं; ४०% बच्चे बुनियादी शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं; हर साल लाखों लोग ऐसे रोगों से मर जाते हैं जिनका आसानी से इलाज हो सकता है . . .

जैसे-जैसे आर्थिक प्रणाली अधिकाधिक बीमार होती जा रही है, वैसे-वैसे सामाजिक और राजनीतिक तंत्र भी और ज्यादा भ्रष्ट होता जा रहा है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, सदियों पुरानी जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था जिसके चलते रोज दलितों पर अत्याचार होते हैं और जिसका फायदा उठा कर नेता ऊंची जाति के युवाओं को बरगलाते हैं कि नौकरियों की कमी का कारण आरक्षण है, सांप्रदायिक राजनीतिक तंत्र जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है और एक दूसरे के खिलाफ नफरत भड़काता है, ऐसे मूल्य जो लालच, स्वार्थ और दूसरों की उपेक्षा व संवेदनहीनता को बढ़ावा देते हैं, एक ऐसा समाज जहां हर गली और नुक्कड़ से नैतिक दिवालियापन रिस रहा है—यही आज की हकीकत है।

लेकिन आम लोग संविधान के साथ किए जा रहे इस धोखे के मूक दर्शक नहीं बने बैठे हैं। देश के हर कोने में आम लोग एकजुट और संगठित हो रहे हैं और विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। यह सच है कि आज ये प्रतिरोध छोटे, बिखरे हुए और साधनहीन हैं, मगर इन्हीं महान संघर्षों से भविष्य का रास्ता खुलेगा।

हमें तमाम शक-शुबहों को एक तरफ रखकर एक बेहतर भविष्य का सपना देखना होगा, यह विश्वास रखना होगा कि इस दुनिया को बदलना संभव है। हां, दूसरी दुनिया मुमकिन है! लेकिन इसे हकीकत में उतारने के लिए हमें अपने खुद के छोटे-छोटे संघर्ष शुरू करने होंगे। जिस तरह हिमालय से नीचे आने वाली अनेक छोटी नदियां मिलकर विशालकाय गंगा बन जाती हैं, उसी तरह ये सभी छोटे-छोटे संघर्ष अंततः एक दूसरे से जुड़ जाएंगे—इस समाज को बदलने और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए जिसका सपना आज़ादी की लड़ाई में देखा गया था और जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठापित है। इसी मकसद से हमने २००४ में 'लोकायत' की स्थापना की थी। देश में बढ़ती फासीवादी ताकतों से लड़ने के लिए हमने २०१४ में सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) से संलग्न होने का निर्णय लिया।

हम पुणे के कॉलेजों, स्कूलों और बस्तियों में बहुत प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए किसी भी पते पर संपर्क कर सकते हैं:

लोकायत

संपर्क पता: लोकायत, १२९ बी/२, सिंडिकेट बैंक के सामने, लॉ कॉलेज रोड, नल स्टॉप के पास, एरंडवणे, पुणे – ४ *(इस पते पर हर रविवार शाम ५ से ७:३० के बीच मीटिंग होती है।)*

अलका जोशी – 9422319129 ऋषिकेश येवलेकर – 9423507864

www.lokayat.org.in lokayat.india@gmail.com @lokayat

lokayat.india abhivyakti.pune lokayatpune

हमारे अन्य प्रकाशन

नोटबंदी: क्या खोया? क्या पाया?	₹	५/-
वॉलमार्ट भगाओ, खुदरा क्षेत्र बचाओ	₹	१०/-
तर्कशील, वैज्ञानिक, समाजवादी विवेकानन्द	₹	१०/-
देश पर फ़ासीवाद का संकट	₹	२०/-
अपना भविष्य: भारतीय संविधान (लेखक: सुभाष वारे)	₹	२५/-
वैश्वीकरण या पुनःऔपनिवेशीकरण?	₹	१५०/-
Public Sector Insurance for Sale	₹	5/-
Union Budget 2015–16: What is in it for the People?	₹	10/-
Budget 2016–17: Acche Din for Whom?	₹	10/-
Palestine, Israel and the Arab–Israeli Conflict: A Primer	₹	10/-
Religion of Temples and Temples of Religion	₹	10/-
Let's Rise from the Shadows!	₹	15/-
The Crisis of Global Warming	₹	15/-
Yeh Dil Mange Maut (Coke–Pepsi Quit India)	₹	15/-
Who was Shivaji? (Writer: Com. Govind Pansare)	₹	20/-
India Becoming a Colony Again	₹	20/-
Spectre of Fascism	₹	20/-
Unite to Fight Nuclear Madness!	₹	20/-
The Unemployment Crisis: Reasons and Solutions	₹	25/-
Is the Government Really Poor?	₹	25/-
Neoliberal Fascist Attack on Education	₹	25/-
Globalisation or Recolonisation?	₹	150/-
Education Under Globalisation	₹	200/-
Essays on Contemporary Indian Economy	₹	200/-
Nuclear Energy: Technology From Hell	₹	225/-

- जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व के मामले में भारत दुनिया के सबसे निचले देशों में शामिल है। यदि भारत सरकार राजस्व में वृद्धि कर उसे वैश्विक औसत तक भी पहुंचा दे, तो केंद्र सरकार अपने कुल राजस्व में (और इसीलिए बजटीय परिव्यय में) कम-से-कम ५०% की, यानी १२ लाख करोड़ रुपए की, वृद्धि कर सकती है।
- सरकार के निम्न राजस्व एवं न्यून बजटीय परिव्यय का मुख्य कारण कर छूट और गैर-कर छूट के रूप में धनाढ्य वर्ग को दी जाने वाली विशाल सब्सिडियां हैं।
- यदि सरकार अमीरों को दी जाने वाली सब्सिडियां कम कर दे, और अपना बजटीय परिव्यय बढ़ा दे, तो वह आसानी से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे सामाजिक क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन में बहुत अधिक वृद्धि कर सकती है।
- सरकार बड़े कॉर्पोरेट घरानों का कई लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर चुकी है। इसके बदले वह सारे कृषि ऋण भी माफ कर सकती थी।
- कृषि मंत्रालय हेतु केंद्र सरकार का बजट आवंटन केवल ५७,६०० करोड़ रुपए है, जबकि सरकार अति धनाढ्य वर्ग को प्रति वर्ष ५.५ लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान कर देती है।
- जेटली के पांचों बजटों में विद्यालयी शिक्षा के बजट में लगभग ३३% कटौती की गई है। केंद्र सरकार यदि अमीरों को दिए जाने वाले हस्तांतरण कम कर दे, तो वह आसानी से अपना शैक्षणिक व्यय बढ़ाकर देश के सभी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य, समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्रदान कर सकती है।

लोकायत
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)
janata
जनता साप्ताहिक, मुंबई